ALLOCATION OF TIME FOR DISPO-, 8ALE OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have to inform Mlembers that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 11th December, 1987, allotted time for Government Legislative and other Business as follows: —

Business	Tiim Allotted
1. CDiwi J Tition an 1 pissirm/return of the following Bills, as passed by the Lok Sabha —	
(a) The Sati (Prevention) Bill, 1987.	3 hrs.
(b) The Direct Tax Laws (Amendment) Bill, lg87..	4 hrs-
(c) The C'. an'lignrh (Delegation of Power) Bill. 1987	1 hr.
2. Discussion on the Report of Justice Thakkar Ommission Inquiry regarding Fair fix Group Inc.	At 4.!'> P. M. onMonetey. the l4'h December, 1987.

RESOLUTION RE. NEED TO AMEND URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) ACT, 1976—Contd.

श्री सागर रायका (गुजरात) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं अरबन लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में आदरणीय देशमुख साहब जी संकल्प लाए हैं उसके समर्थन में बोल रहा था। अरबन लैंड सीलिंग एक्ट में कोपरेटिव हाऊसिंग सोसायटीज को जो मुक्ति मिलती है उसमें कई बो। कोपरेटिव हाऊसिंग सोसायटीज ने लाखों हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई है। सही में जब इस अरबन लैंड सीलिंग एक्ट को 1976 में लाए थे तो उसमें प्रोवीजन यह था कि गरीब लोगों को कुछ मकान मिलें। मगर गरीब लोगों को त कान नहीं मिले बल्कि जो कोप-रेटिव हाऊसिंग सोसायटीज बोगस फोर्म हुई पूरो को पूरी हाऊसिंग सोसायटीज के मेम्बर्स चेंज होते र हैं उनको मिले। आप अगर ऐसी सोसायटीज देखने के लिए जायें तो 10 साल पहले जो मेम्बर थे वह आज ओरोजनल कोई नहीं मिलेंगे और ऐसी सोसायटीज बनाकर जो फाजिल जमीन होने वाली थी वह जमीन फाजिल नहीं हुई मगर उन जमीनों के मकान बन गए। उनके लिए कई करोड़ रुपए का लोन हाऊसिंग फाइनेंस कारपोरेशन से उन्होंने लिया और एल॰ आई सी॰ ने भी दिया।

उपाध्यक्ष महोदय आज भी कई मकान हम ऐसे देख रहे हैं जिनका ओनरशिप कोई पांच-दस आदमी की है और दूसरी तरफ कई लाखों लोग शहरों के आसपास अपने खुद के मकान के लिए घूम र हे हैं, कई लोगों के पास, कई कर्मचारियों के पास लान स्वीकृत है, फिर भी उनको खरीदने को मकान नहीं है क्योंकि जहां देखो, वहां मकान की खरीद में काले

धन की जमावट हो गई है और काले धन का इस जमावट से आम आदमी के लिए मकान खरीदना मुश्किल हो गया है। इसके पीछे वेस्टिड इंटरेस्ट है, मकान ज्यादा तादाद में बनाकर अपने पास रखकर ज्यादा नफा लेकर बेचने वाले जो लोग हैं वह लोग इस कायदे का असरकारिता को मिटा रहे हैं। नेशनल आर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों के बारे में मैं इस सदन का ध्या : आकर्षित करना चाहता हूं।

Recommendations made by the Commission on urbanization of land—

—All excess land must be identified and notified as surplus and be made available for acquisition.

—All surplus vacant land must be quickly released for city development, in particular, hous: ng, with special emphasis on housing for middle and lower income groups and economically weaker sections.

इस रिकमेंडेशन में एक चीज नहीं लिखी है। आज पूरे देश में आप देखेंगे क बड़े-बड़े शहरों में कम्युनल एजीटेशंस वगैरा होते हैं। तो मायनो रिटीज को इसमें जमीन दी जा । ऐसा इस अर्बन यजेशन कमीशन ने नहीं लिखा है। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। मायनो रिटीज के लोगों को एक साथ बसाने के लिए जो सरप्लस लैंड है, उनके लिए भी अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट में से जो जगह फा जल है उसमें से कुछ जमीन उनकी सोसायटीज को दी जानी चा हए। आजकल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड यूल्ड ट्राइब और गवर्नमेंट एम्प्लाईज के लिए—

Without land they can register a cooperative housing society.

पूरी-की-पूरी सोसायटी वे लोग बेच रहे हैं और जो जगह सरप्लस होकर सरकार के पास आने वाली थी दूसरे लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। आप अगर चैक करें तो दस साल पहले के मेंबर को देखें और आज के मेंबर को देखें तो उसमें कहीं किसी का ठिकाना नहीं मलेगा। तो जो रजिस्टर्ड सोसायटीज हैं, उसमें इस तरह की चीज देखने को मलती हैं। इसमें मेरा तीसरा सुझाव है—

In order that the owners of surplu* land be encouraeed to use it for house construction rather than indulge in unnecessary litigation to retain it they may be permitted to build up housing by their own a$_s$ per the rule» with 80 sk. mtreg of plinth area.

वीकर सेक्शन के लिए 80 स्क्वेयर फीट का मकान बनाने की जो सिफारिश है, उसमें उस जमीन के मालिक को छुट्टी मिलनी चा हए क्योंकि इससे बीच वाला आदमी हट जाएगा। अगर जमीन के मालिक 80 स्क्वेयर फीट के मकान बनाकर लोगों को देंगे तो इसमें जो बिचौलियों का जो सस्टम है वह खत्म हो जाएगा। होता यह है क जमीन के मालिक से खाली सगनेचर करा लेते हैं। बाद में उसको घर दे देते हैं या पूरी सोसायटी या जमीन की चौकीदारी दे देते हैं या ठेकेदारी दे देते हैं। जस व्यक्ति ने इस जमीन के ऊपर मेहनत कर अपनी जिंदगी बनायी है, उस जमीन में से उसको कुछ नहीं देते और पूरी जिंदगी उसके बच्चे चौकीदारी करते हैं। आज इस कारण किसान की हालत यह है क जहां किसान अपनी जगह पर मेहनत करता रहा वहीं उसको रहने का अधिकार नहीं मलता है। उसको 80 स्क्वेयर फीट का घर भी नहीं मिलता है। अतः अगर उस किसान को वालेंटरी आर्गेनाइजेशन के जरिए सिखाया जाय क वह सोसायटी बनाकर अपनी सरप्लस लैंड को डेवलप करे तो यह समस्या जल्दी से और आसानी से हल हो जाएगी। इसमें मेरा एक सुझाव यह भी है क—

"During the period of five years permitted for utilisation of the land in the prescribed manner, the surplus vacant land should be sub ject to a cess/tax. The amount of such cess/tax should be Rs. S per square metre in category D towns. In category C, B and A towns the Central or State Govern ment, by general or special noti-firation, may prescribe a cess/tax ranging from Rs. 5 to Rs. 50 per square metre. "

By this tax we can raise a good housing fund also. It also recommends that "the State must continue to provide land and shelter to the urban poor. "

The Commission recommends that on the basis of vacant land, Sales Tax and penalties for misuse be levied and credited to vthe iShelter Fund. The proceeds, of the Shelter Fund would. only apply to the city from which it is collected and will be specifically utilized for the acquisition of sites and development of sites for the urban poor people. By this way, we are able to get more than Rs. 600 crores per annum for the shelter Fund. "

SHRT RAOOF VALIULLAH (Gujarat); It is a very good suggestion.

श्री सागर रायका : आप उपसभाध्यक्ष जी, बंबई से आते हैं। बड़े-बड़े शहरों में हालत यह है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन्स हैं जो किसानों से बहुत मामूली रेट पर उनकी जमीन लेते हैं। कारपोरेशन के कर्मचारी ही उनसे पैसा कलैक्ट करते हैं। इससे तो अच्छा हो क सरकार एक रिवाल्विंग फंड इक्टठा करे। उस से माइनारिटीज के लिये और वीकर सेक्शन्स के लोगों के लिये हम आवास की अच्छी योजना खड़ी कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं।

डा रत्नाकर पाण्डेय : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे सदन के वरिष्ठ, अनुभवी और ज्ञानी सदस्य माननीय श्री शंकर नारायण देशमुख जी ने जो 13 नवम्बर, 1987 को हमारे अरबन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन्स ऐक्ट 1976 के संबंध में सुधार हेतु जो चर्चा प्रारम्भ की है उससे संबद्ध होने का आप ने मुझे सुअवसर दिया इसके लिये मैं आपको कृतज्ञता व्यक्त करता हूं: उन्होंने जिन तथ्यों को ध्यान में रखा है उनमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। दूसरा है भूमि के लेन देन और सौदों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है और तीसरा है नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का लाभ उठाने के प्रयोजन से फर्जी गृह निर्माण सहकारी समितियां बन गयी हैं। उक्त अधिनियम ने अनुचित और बोधगम्य कल्पना को जन्म दिया है, जिससे भूमि की काला बाजारी और फर्जी लेन देन में वृद्धि हुई है और कृषि जो भारतीय अर्थ व्यवस्था का मूलाधार है, शहरी निर्धनों की सहायता करने के बहाने पूरी तरह चौपट की जा रही है।

इन महत्वपूर्ण चीजों पर माननीय सदस्य का ध्यान गया है और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं इस सदन के माध्यम से उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन कहना चाहता हू कि शहर और गांव दोनों में ही इंसान रहते हैं भारत गांवों का देश है और इस गांव के देश में ही महात्मा गांधी को प्रेरणा मिली 1917 में बिहार के चंपारन में, जहां उन्होंने किसानों का आंदोलन शुरू किया और वहीं से गांधी जी के असहयोग आंदोलन की सफलता का श्रीगणेश हुआ। तीन वर्ष बाद 1920 में उन्होंने अपना असहयोग आन्दोलन सारे देश में चलाया। जिन किसानों ने भारत की स्वतंत्रता के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया वे ही आज भूमिहीन बनते जा रहे हैं और आज तीन तरह के किसान हमारे देश में हैं। एक तो, जमींदारी हमने मिटा दी, लेकिन आज भी अपने कुत्ते के नाम से, अपनी बिल्ली के नाम से, अपने चूहे के नाम से, अनेक पशुओं के नाम से, अनेक फर्जी और जाली नामों से (व्यवधान) लोग अपनी जमीन बचाये हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बनारस से संबंधित हूं। वहां चविया में सबसे अधिक खेती होती है धान की करइल में बहुत उपजाऊ जमीन है। वहां से मैं संबद्ध हूं और मैं बहुत बड़े-बड़े खेतिहरों को जानता हूं। जो सीलिंग ऐक्ट का उल्लंघन करके हजारों एकड़ जमीन दबाए हुए हैं उनके विरुद्ध हमारी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। श्रीमन् यह चिन्ता की बात है कि ऐसे लोग कानून का पालन न करके कानून की आंखों में धूल झोंककर कोई भी सत्ता हो उसके साथ चिपक जाते

हैं और सबसे पहले नेताओं का स्वागत और सम्मान करने में सबसे आगे आते रहते हैं ऐसे लोग निश्चित रूप से चीर हरण के अधिकारी पात्र हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो श्रीकृष्ण उसकी रक्षा के लिए आए लेकिन इनके स्तीत्व की रक्षा के लिए आने वाला आज कोई नहीं है । इसलिए इनका चीर हरण होना चाहिए और समाज के सामने इनके काले कारनामों को खुले रूप से रखना चाहिए ।

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल ने राम जानकी व दहिया ट्रस्ट की बात बताई । इससे पहले मैं एक दूसरे ट्रस्ट की बात आपको बताता हूं । एशिया की सबसे बड़ी कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी गोपालपुर का फार्म है जो मिर्जापुर जिले में है। अभी कुछ दिनों पिछले वर्षों उसके बारे में आया था कि उसकी 7 हजार एकड़ जमीन है और 150 उसके सदस्य हैं लेकिन कितने सदस्य अस्तित्व में हैं इसका पता नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री महोदय उसका संचालन करते हैं। जिनकी पत्नी लोक सभा सदस्य हैं पिता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पिछले वर्ष उन्होंने उस जमीन को 30 रुपए एकड़ में कुछ सेठों को कारखाने लगाने के लिए बेच कर हेराफेरी की। महोदय, 30 रुपये में तो एक तौलिया भी नहीं मिलता है 30 रुपये में एक एकड़ ऐग्रीकल्चर की जमीन बेची जा रही है यह बहुत गंभीर मामला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच बैठाएं कि सबसे बड़ा जो कोआपरेटिव फार्म है एशिया का उसकी आज यह दुर्दशा क्यों हो रही है ? जब संपूर्णानंद जी मुख्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो वहां पर बिजली की लाइन बिछाई गई थी, नहरों का वहां जाल बिछाया गया और वहां की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सब कुछ किया गया और आज उस कोआपरेटिव फार्मिंग का उपयोग एक परिवार विशेष, एक व्यक्ति विशेष के लिए हो रहा है । आश्चर्य है वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी है । उसको जब्त करना चाहिए और उस जमीन को जो वहां के आदिवासी हैं, जो आज भी वस्त्र तक नहीं पहनते हैं और अपने ऐसे अंगों को छिपाने के लिए जिनको अश्लील कहते हैं पत्तों का इस्तेमाल करते हैं । वे लोग आज भी चक्वाड़ पेड़ की छाल को उबालकर खाते हैं । ऐसे गरीब लोगों में उस जमीन का वितरण किया जाना चाहिए और इतना बड़ा जो फार्म है एशिया का सबसे बड़ा कोआपरेटिव गोपालपुर फार्म है ऐग्रिकल्चर फार्म के रूप में उसका इतना बड़ा दुरुपयोग पहले कभी नहीं हुआ । इसलिए गंभीरता से मंत्री जी जांच करएं ।

महोदय अभी हमारे दल के माननीय सदस्य जो कभी हमारे सदन के नेता होकर बैठते थे और आज विरोधी दलों के साथ बैठते हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं. इतने छोटे आदमी हैं, इतने घटिया हैं जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनकी कोई निष्ठा नहीं है, ऐसे लोगों का नाम अपनी जबान पर लाना उसको भी कलंकित करना है, ठक्कर नटराजन में भी आए, सारे देश में उनकी चर्चा है, इतने डेमोरेलाइज हैं, सदन में, चाहे राज्य सभा में या लोक सभा में बैठते हैं तो डिवीजन के समय जब बटन दबाएंगे तो रूलिंग पार्टी की तरफ, लेकिन बाहर जाकर रूलिंग पार्टी को गाली देते हैं, ऐसे लोगों के राम जानकी व दहिया दो ट्रस्टों के नाम पर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है।

महोदय, जब माननीय ज्ञानी जैलसिंह राष्ट्रपति थे तो मैंने और हमारे यहां बैठने वाले सहयोगी माननीय श्री कल्पनाथ राय ने एक आरोप-पत्र उनको दिया था मैं शुक्रगुजार हूं तत्काल महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह का कि उन्होंने तत्काल भारत सरकार को हमारा आरोप-पत्र भेजा और कि इसकी जांच कराई जाए, इमिडिएट एप्रोप्रिएट ऐक्शन लिया जाय। मैं शुक्रगुजार हूं गृह मंत्री महोदय श्री माननीय चिदंबरम का कि उन्होंने हमारे आरोपों को वित्त मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को जांच के लिए भेज दिया है।

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

सरकार की ओर से उसकी जांच में इतना विलम्ब न हो जाए कि उस रिपोर्ट की कोई महिमा न हो और वे झूठे लोग, मेरे जैसे आदमी को 'टोटली लाई' शब्द से सम्बोधित करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे आरोपों की जांच कर रही है और बीच में ही वह सर्टीफिकेट दे कि यह टोटली लाई है यह शर्म की बात है उस सदस्य के लिए। इस सदन में उस दिन बोलते हुए उस सदस्य ने, जन मोर्चा के अध्यक्ष और इस सदन के भतपूर्व नेता ने यह कहा था कि यह 'टोटली लाई' है राम जानकी और दहिया ट्रस्ट के नाम पर उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। शासन में रहने वाला आदमी, मंत्री इस तरह का घोटाला करता है, हजारों एकड़ जमीन को दबा लेता है और फिर समाज वाद की बात करता है, इलेक्शन रिफार्म की बात करता है, देश में नैतिक चरित्र की बात करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उससे बड़ा अनैतिक आदमी और कोई नहीं हो सकता। मंत्री जी क्या एक्ट में कोई कानून नहीं है कि ऐसे लोगों को खुले आम ट्रायल किया जा सके। "धन व धरती बट कर रहेगी, भखी जनता अब नहीं सहेगी।" हमारे विरोधी दल उस वक्त नारा लगाते थे जब वह सत्ता में आये थे। न जाने कितने फार्म खुल गये, न जाने कितने कोआपरेटिव फार्म खुल गये। बहुत से लोग आज सत्ता में नहीं हैं लेकिन जब सत्ता में आये थे तो न जाने तब कितने सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक बन गये और आज ऐसे लोग समाज में सम्मान प्राप्त करने की बात करते हैं; आज समाज में धन से प्रतिष्ठा और यश प्राप्त करने की बात करते हैं, लोगों को पैसे से सोशल स्टेटस से मापते हैं। एक शायर ने कहा है—"धरती माता है और बेटे सब मां का सौदा नहीं किया करते।" आज धरती का सौदा हो रहा है। इसे बंद करना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हिन्दी की सबसे बड़ी सस्था नागरी प्रचारिणी सभा का मैं संयोजक हूं और दिल्ली में इसका भवन बन रहा है। 1969 में सौ वर्ष की लीज पर महामहिम उपराज्यपाल श्री आदित्य नाथ झा द्वारा 25 रुपये गज के हिसाब से 33,3333 रुपये की 1/3 एकड़ जमीन इन्दिरा गांधी जी की कृपा से मिली थी। यह भवन 6 महीने में बन कर पूरा हो जायेगा। आज से तीन चार साल पहले विदेशी लोग मेरे पास आये थे। वह कहने लगे कि तुम अपनी जमीन बेच दो। हमने कहा कि क्यों। वह कहने लगे बहुत दाम मिलेगा। मैंने पूछा क्या मिलेगा तो कहने लगे बहुत दाम मिलेगा। वह जमीन यह जमीन आई.आई.टी. इस्टीट्यूट एरिया के पास है। उन्होंने कहा कि 8 हजार रुपये गज के दाम तुम को मिलेंगे। जो जमीन नागरी प्रचारिणी सभा ने 1969 में 25 रुपये गज के हिसाब से खरीदी थी उस जमीन के दाम 1985 में 8 हजार रुपये गज हो गये हैं। किस तरह से जमीन के दाम बढ़ रहे है यह आप देख रहे हैं। आज न सोना इतना मल्यवान है और न दूसरी चीजे। कुछ ऐसे पेशेवर लोग हैं जो देखते हैं खली पड़ी जमीन, उसी पर कब्जा कर लेते है चाहे वह सरकार की जमीन हो, गरीब की हो या कमजोर आदमी की हो। वह फौरन कब्जा कर लेते है। उन्हें लज्जा धर्म नहीं है।

जंगलों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार का वृक्षारोपण का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए स्वतंत्र रूप से मंत्रालय की स्थापना भी कर दी गयी है। मैं चकिया का रहने वाला हूं। मैंने चकिया और नवगढ़ के जंगलों में देखा है। वहां पर मजबत किस्म के लो गांव से जाकर बस गये हैं। सैकड़ों सैकड़ों एकड़ हरी भरी जमीन को काट कर, जंगलों को काट कर जबरन बस गये हैं। और खेती करते हैं एक पौधा कटता है तो उसकी जिन्दगी मौत में बदल जाती है। उन पौधों को जंगल को काट कर उन्होंने खेत बना लिये हैं। यह कितना बड़ा विभेद है, यह कितने बड़े मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है कि आज गांव

के रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए जमीन नहीं है । अगर उसने कहीं झोपड़ी डाल ली है तो उसको उजाड़ दिया जाता है । उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है कि जो आदिवासी जिस जमीन पर बसा है उसका वह मालिक होगा। इन्दिरा गांधी के जीवन काल में कई बार आदेश दिये गये लेकिन गांव सभा के पटवारी रेंजर उस आदेश का पालन नहीं करते । लाख कोशिश करें लेकिन पटवारी जो मालिक बना हुआ है जब तक वह नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। वह तभी करता है जब उसे हजारों, 10, 20 हजार, लाख दो लाख रुपये मिलेंगे । अगर उसे पैसा मिलता है तो वह पूरे कागज बदल देता है मेरे नाम जमीन है तो वह आपके नाम कर देगा। इस तरह से कागज में बदलाव कर देता है। इसलिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का लाभ उठाने के प्रयोजन से फर्जी गृह निर्माण सहकारी समितियां बन गयी हैं और फर्जी लेन-देन करके सारे डाकुमेंट्स बदलवा दिये जाते हैं । इसको बंद होना चाहिए । इस तरह की चोर बाजारी बंद होनी चाहिए । हमारे देश में भवन के कोआपरेटिव बहुत तेजी से बढ़े हैं । जब मैं संसद् सदस्य बना तो तीन लोगों ने मुझे से कहा कि आप हमारी हाउसिंग कोआपरेटिव के सदस्य बन जाइये। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी हाउसिंग कोआपरेटिव का सदस्य नहीं बनता क्योंकि कोआपरेटिव में जो सहयोगात्मक आन्दोलन चला था वही नष्ट हो गया है तो इनका क्या फायदा है । आज हाउसिंग कोआपरेटिव पेशा बन गया है । इस सदन में और लोक सभा में भी यह बात आई है कि कितने ही संसद सदस्यों के नाम हाउसिंग कोआपरेटिव में हैं । हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें जन सेवा के काम में किसी प्रकार का कोई कलंक लगे। सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप हमारे ऊपर लगे, यह उचित नहीं है । इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जो पुराने मानदण्ड हैं उनको बदला जाये और जो सुझाव श्री देशमुख ने दिये हैं उन पर आपको विचार करना चाहिए । इस संकल्प में श्री देशमुख ने कहा है कि भू-स्वामियों को निर्धारित मूल्य के 1/4 का नगद और 3/4 का सरकारी बांडों में जो 20 साल की अवधि के समाप्त होने के बाद परिपक्व होंगे जैसा कि इस अधिनियम में निर्धारित किया गया है आस्थगित भुगतान करने के बजाय विद्यमान उचित बाजार मूल्य के हिसाब से तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाये । हम देखते हैं कि जमीन खरीदी जाती है, कोआपरेटिव बनते हैं, बड़े-बड़े नगरों में डी डी ए० की तरह से प्राधिकरण की कालोनियां बन रही हैं, हर जगह कालोनियां बन रही हैं, लेकिन मैं आवास मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गांवों के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं । दिल्ली में डी डी ए० है और वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण है । लेकिन गांवों के लिए भी आपको इसी प्रकार के विकास प्राधिकरण बनाने चाहिए । केवल शहरों की तरफ ही ध्यान देकर काम नहीं चलेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पैटर्न को बदलिए। आधुनिक कालोनियों में जो मकान बन रहे हैं उनकी छतें चूने लगती हैं, बाथ रूम टूटने लगते हैं, कीचन में मेटिरियल खराब लगा होता है । इन मकानों में स्टेन्डर्ड की चीजें लगी नहीं होती हैं । इनमें कितना घपला है, यह सब जानते हैं । जितना मूल्य आप इनका निर्धारित करते हैं उतने मूल्य की चीजें इनमें लगनी चाहिए । डी डी ए० या विकास प्राधिकरण जो मकान बनाते है उनका पैटर्न बदलने की जरूरत है । भारतीय शिल्प कला का उपयोग किया जाना चाहिए । भारत के प्रत्येक गांव, प्रांत, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की अपनी-अपनी शिल्प कला है। उस शिल्प कला का विकास होना चाहिए । आज हम देखते हैं कि कालेजों की जो भी बिल्डिंग बनती है वे अमेरिकन पैटर्न पर बनती है। वे सब एक ही तरह की होती हैं । डी०डी०ए० के मकान एक ही पैटर्न पर बनते हैं। श्री देशमुख ने कहा है कि 1-4 मूल्य का एकदम भुगतान कर

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

देना चाहिए और बाकी को भी तत्काल देने की घोषणा करनी चाहिए। यह कहां का न्याय है कि किसान जब बूढ़ा हो जाता है तब उसको उसका जमीन का पैसा मिलता है। इसलिए आपको नये मानदण्ड बनाने होंगे। किसानों को या गरीब लोगों को उनकी जमीन का पैसा तत्काल मिलना चाहिए ताकि वे उसका उपयोग कर सकें और यदि उसको बैंक में रखना चाहें तो वहां रख सकें या किसी उद्योग में लगाना चाहें तो वैसा कर सकें और अपना खर्च चला सकें। आपका यह एक्ट बिलकुल डिफेक्टिव है।

श्री देशमुख ने आगे कहा है कि परिवार के मुखिया और वयस्क सदस्यों में ही भूमि बांटने के वर्तमान तरीके के स्थान पर परिसम्पत्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों और अवयस्क सदस्यों में भूमि को बांटा जा सके। आपने एक्ट में जो भूमि का स्वामित्व दिया है वह उचित नहीं है। श्री देशमुख ने जो प्रस्ताव किया है उसका पूरा पालन होना चाहिए। पूरी सम्पत्ति के जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनमें भूमि का वितरण होना चाहिए और वह इक्वल रूप से होना चाहिए। आज बड़ी तेजी से लोग गांवों से शहरों की तरफ मुड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। इसलिए हमें गांवों की तरफ ध्यान देना चाहिए और देश का ग्रामीणीकरण होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में, खास तौर से बम्बई जैसे बड़े शहरों में हर मंजिल पर छोटे बरामदों में बगीचे बनाये जा रहे हैं जो टाप फ्लोर होता है उसको कीचन गार्डन में बदल देते हैं। आज प्रकृति से अलग रहकर हम जी नहीं सकते। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय,

प्रकृति रही दुर्जेय अपरिचित,
हम सब थे भूले मद में,
धरती माता है और बेटे सब,
मां का सौदा नहीं किया करते।
प्रकृति के वैभव का श्रृंगार,
करेंगे कभी न बासी फूल,
मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र,
सतत् व्याकुल है उनकी धूल,
पुरातनता का यह निर्मोक,
सहन करती न प्रकृति पल एक,
नित्य नूतनता का अविराम,
लिए हैं परिवर्तन में टेक।

जब चारों ओर प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है और प्रकृति को कोई झुका नहीं सकता। उससे हम सुविधा तो ले सकते हैं और जितनी हमारी आवश्यकतायें हैं हम उससे ग्रहण कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए प्राकृतिक विभेद जो किया गया है कि कहीं जमीन आपने ले ली और डी० डी० ए० उसमें निर्माण कार्य कर रही है। जमीन ली गई खिचड़ीपुर गांव के लोगों की 5 हजार रुपये एकड़ में और उसको बेचा जा रहा है, उसमें फ्लैट बनाकर उसको बेचा जा रहा है डेढ़-डेढ़ लाख रुपये में। यह विभेद सकड़ों प्रतिशत से ऊपर चला जाता है। इसलिए इस विभेद को दूर करने की जरूरत है। बड़े-बड़े शहरों में, जैसे ट्रू टियर, थ्री टियर ट्रेन में सीट होती है उसी तरह से आठ-आठ टियर बनाकर मैंने देखा है कि लोग जीवित रहते हैं। एक टियर में एक रहता है दूसरे में दूसरा रहता है और तीसरे में तीसरा रहता है। इसलिए जमीन का उपयोग इस ढंग से हो ताकि लोग इंसान की तरह रह सकें। वे उस पर पशुओं की तरह न रहें। महोदय, बड़े-बड़े शहरों में जो इस तरह की दुर्व्यवस्था है, जो पटरी पर सोने वाले लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे जिंदा रहने वाले लोग हैं, जिनकी चादर खाली आसमान है और जिनका बिस्तर धरती है, ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है ? इसके लिए लैंड सीलिंग ऐक्ट में सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह प्रावधान होना चाहिए।

चौथा है संकुचन क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि के किसानों में कानून के

अन्यायपूर्ण और अनुचित क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नष्ट होने से बचाया जा सके जिसके लिए करोड़ों रुपये व्यय किए जा रहे हैं और इससे सामान्यतः समाज को नुकसान हो रहा है। बहुत से जो तस्कर हैं, ब्लेक मार्केटियर्स हैं मल्टीनेशनल्स हैं उनका पेशा हो गया है जमीन का धंधा। वे समझ गये हैं कि सबसे ज्यादा फायदा जमीन के रोजगार में है। बम्बई में समुद्र के किनारे हर साल कोई न कोई कालोनी बनती नजर आती है। इनके ओनर्स कौन लोग हैं ? अगर आप इसका पता लगायें तो पता चलेगा कि इसमें बहुत से तस्कर हैं। उनको समाज में मान भी मिलता है क्योंकि सम्पत्ति उनके पास जमीन के रूप में ज्यादा है और आज वे इस धन्धे की बदौलत करोड़-पति, अरब-पति हो गये हैं। ऐसे लोग चालबाजी से जमीन का कागज बदलवाते हैं। ये लोग दो नम्बर के पैसे से चोरबाजारी करके जमीन कम दाम पर लेते हैं और उसको अधिक दाम पर बेचते हैं। वे उस जमीन में फ्लैट बनाकर एक एक फ्लैट को 20-20 लाख रुपये में बेचते हैं। जमीन को पास करने के लिए वे कारपोरेशन के लोगों से मिले रहते हैं और समुद्र की जमीन को सस्ते दामों पर लेकर उससे इस तरह से मुनाफा कमाते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए कानून में कोई प्रावधान हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कानून में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रावधान है या नहीं है ?

महोदय, हमारे देशमुख जी ने जो प्रस्ताव रखा है अब मैं इसके मूल तथ्य पर आना चाहता हूं। इसमें लिखा है, अरबन लैंड ऐक्ट के पेज 11 फिफ्थ आफ 904 में 14वां परिच्छेद है कि

In the Urban Land Ceiling Act, in clause 14, it has been said: The State shall within a period of six months from the date of the o'rder authorise determining the amount to be paid under section 11 or in a case where an appeal has been preferred against such order under section 1* 01 section 13, within a period of six months from the date of the final appellate order, pay the amount referred to in section 11 to the person or persons entitled thereto.

Then i$_n$ sub-clause (2) it has bee* said that 25 per cent of the amount or Rs. 25, 000 whichever is less shall be paid in cash and the balance in negotiable bonds redeemable after the expiry of 20 years carrying an interest at the rate of 5 per cent per annum with effect from the date on which the vacant land is deemed to have been acquired by the State Government under sub-section (3) of section 10.

इस तरह से जो आपने कानून दिया है इसको पूरा बदलना होगा। माननीय मंत्री जी इस में जो देशमुख जी ने सुझाव दिये हैं उन सुझावों का मैं खुले तौर से समर्थन करता हूं और इसी तरह से बीसवें पेज पर है —

Act to overrule this law. The provision of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistant therewith (in any other law for the time being in force or any customs usage or by decree or order of a court, tribunal or other authority.

आप कुछ मानेंगे ही नहीं ? क हैं कि कोई इस कानून के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकता है। आपने सीलिंग एक्ट बना दिया। कोर्ट में हर चीज को चेलेंज करने की व्यवस्था है लेकिन इसमें साफ लिखा है कि कोई भी एक्ट इस पर नहीं चलेगा न कोर्ट का आर्डर चलेगा। ऐसी स्थिति में उपसभाध्यक्ष महोदय जो देशमुख जी ने सुझाव दिये हैं वे धरती से जुड़े हुए हैं। जब विचारों से कोई देश जुड़ता है तब क्रांतियां आती हैं। यह जरूरी नहीं कि क्रांति करने के लिए कोई बहुत बड़ा पद चाहिये। जीवन जिसने समर्पित कर दिया है जनता की सेवा में उसके हृदय में उसकी भावनाओं में सारे समाज के गरीबों की अभावग्रस्तों की धड़कन अपने आप विचार बनकर के गूंज उठती है। यह

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

विचार देशमुख जी के मानस पटल पर अंकित हुए और सौभाग्य है कि सदन के माध्यम से हमारे इस अरबन लैंड एंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, 1976 में जो त्रुटियां थी उनकी ओर उनका ध्यान गया।

मैं आग्रह करूंगा हिन्दुस्तान का हाउसिंग मिनिस्ट्री से कि यह गांवों का देश है। आने वाले 10 वर्षों में जो मास्टर प्लान हमारा दिल्ली और अन्य नगरों का बन रहा है उसमें सैकड़ों मील तक हम आगे तक बढ़ेंगे तब जाकर के हम नियोजित कर पाएंगे बढ़ते हुए समाज की आवश्यकताओं को और सारी मानवता के जीवन को। बड़े बड़े गांवों की ओर, जंगलों की ओर आदिवासियों की ओर अभावग्रस्तों की ओर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की ओर तेजी के साथ हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना तो हमने बना ली लेकिन उसका एग्जीक्युशन बड़ा कठिन है। आज भी हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें पटवारी के लिखे हुए को राष्ट्रपति भी नहीं काट सकता है और जो भाग्य लिखने वाला पटवारी है वह आज भ्रष्ट हो चुका है इसलिए उस पर कड़े से कड़ा कानून लगाकर ऐसी व्यवस्था की जाए। जो सम्पत्ति अपनी देता है जर जोरू और जमीन इन तीनों के लिए इस देश में और दुनिया में युद्ध होता रहा है, जब आदमी जमीन देता है तो वह अपने को निराश्रित कर लेता है। उसकी छाया टूट जाती है छत हट जाती है जब वह जमीन बेचता है। घर में यदि मौत हो जाए तो गरीब कबूल कर लेता है लेकिन धरती-विहीन होकर के रहना सबसे बड़ी दरिद्रता इस देश में मानी गई है और उसके साथ ऐसा कानून बनाना कि उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं कर सकते ऐसा कोई कानून लागू होगा यह कानून का विधि का मखौल है। जिन लोगों ने ऐसे कानून को बनाया है उनके विवेक पर मुझे तरस आता है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी जमीन के मामले में हमें बड़ी कड़ाई के साथ जो दो नम्बर का पैसा लगाकर कालोनीज खड़ी कर रहे हैं कम दाम पर जमीन लेकर मुआवजे के नाम पर जेल और थाने में पिटवाते हैं जमीन के मालिकों को ऐसे लोगों पर कड़े से कड़ा कानून लागू कर के उन्हें नेस्तनाबूद करना होगा समाज से। उपसभाध्यक्ष जी, यह किसानों की धरती यह जंगलियों की धरती है, यह आदिवासियों की धरती है, उनकी प्रदर्शन करने से उनका विश्व में केवल सांस्कृति प्रदर्शन करने से ही काम नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी बात है हमारी संस्कृति सारी दुनिया में आज प्रदर्शित हो रही है लेकिन जो संस्कृति के प्रतीक है उन प्रतीकों के अनुरूप हमें अपने जीवन को फिर से ढालना होगा और जमीन के मसले पर हमें किसी तरह की छूट नहीं देनी है और मुझे यकीन है राजीव गांधी जी के सरकार ने वायदा किया है कि हम सत्ता के दलालों को बेनकाब करेंगे। और बेनकाब राजनीतिक स्तर पर पूंजीपति स्तर पर तो हो रहे हैं लेकिन जमीन की स्मगलिंग करने वाले, धरती माता के साथ गद्दारी करने वाले, धरती माता के साथ चोर बाजारी और ब्लैकमेल करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ा हथियार उठाकर इनको नेस्तनाबूद करना होगा। जो कोआपरेटिव चलाते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज चलाते है जो लोग गरीबों की जमीन को लेकर बहुत सी कालोनी बनवाते हैं या गांवों में नाजायज ढंग से सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा किये हुए हैं ऐसे लोगों की जमीन लेकर जो वहां के निवासी हैं गरीबी की रेखा के नीचे जिंदा रहने वाले हैं उनमें वितरित करनी होगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बड़े विस्तार से बोलने का मौका दिया और बहुत सी बातें मैं कह गया, मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि श्री दलवीर सिंह जैसे डायनामिक और यंग मैन के माध्यम से यह देश चेतना की क्रांति का शंखनाद देगा जिसको पूरा करने का दायित्व हमारे राजीव गांधी जी ने लिया है। मुझे यकीन है कि वे इसके लिए कुछ नहीं उठा रखेंगे और देशमुख जी के प्रस्ताव में जो लैंड सीलिंग एक्ट में सुधार के प्रोविजन हैं इनको वे वापस न लेकर स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री शरद यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, यह जो देशमुख जी का संकल्प है इसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। आज मैं जानता हूं कि जिस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूं उस विषय को सरकार, जिसने सारे मामले को बिगाड़ा है, बहुत सुनने का काम नहीं करेगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आदमी को कहते रहना चाहिए और कहने से ही सपने धरती पर उतरते हैं।

मान्यवर, यह जो शहरी भूमि का विवाद है यह व्यापक और गहरा है। यह जो संकल्प दिया गया है और इसमें जो वर्णित है अकेले उसके अनुसार समस्या को सेग्रीगेट करके देखा जायेगा तो मामला ठीक से पकड में आने वाला नहीं है। यह जो शहरी भूमि है और बेतहाशा शहरों में जो बाढ़ आई हुई है और आबादी का जो विस्फोट हो रहा है उसका मुकाबला दुनिया में कभी देखने को नहीं मिला, उस जैसे देश दुनिया में कहीं नहीं हैं। सवाल है कि शहर लगातार विस्तार पाते जा रहे हैं और जो गांव शहरों के पास बसे हुए हैं शहर उनको निगलते जा रहे हैं। यह अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है। समचे जो शहर हैं उनके आस पास के गांवों में सदियों से जिन्होंने अपने पुरखों की जमीन पर ठण्ड, बरसात, बाढ़ और सुखाड़ को देखते हुए रहने का काम किया है, उन हजारों वर्षों से, सदियों से बने हुए लोगों को विस्थापित करने का काम जोरों से जारी है। जितने ही बड़े शहर हैं वे लगातार अति आधुनिकता के चक्कर में, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के चक्कर में लगातार विकसित हो रहे हैं और इन शहरों में कौन लोग भागकर आ रहे हैं ?

समस्या का निदान यह नहीं है कि कोई कानून बनाकर शहर की आबादी में बसने वालों को रोक दें या जो जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं उनकी कीमत कम कर दें, यह समस्या अकेले आपके सामने होती तो उसका निदान हो सकता था। इस संकल्प को मंजूर करने से ही इसका निदान नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग शहरों में दौड़ रहे हैं वे आज से, दो वर्ष से या 10 वर्ष से नहीं हो रहा है बल्कि लगातार हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई के दौरान से, गुलामी के दौरान से लगातार यह पलायन गांवों से होता चला आ रहा है। जब ईस्ट इंडिया कम्पनी इस देश में आई। तो पहली बार उसने औद्योगिकीकरण इस देश का शुरू किया, अपने उद्योग का माल बेचना और हिंदुस्तान में नये उद्योग और नया ज्ञान और विज्ञान, उसके चस्के को हिंदुस्तान की जनता को लगाने का काम करना--यह जो ईस्ट इंडिया कम्पनी जब आई, तो उसने पहली बार हिंदुस्तान को दुनिया में जो विज्ञान और टैक्नालोजी जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, उसका टेस्ट देना शुरू किया, स्वाद देना शुरू किया और हिंदुस्तान में चाहे रेल हो, चाहे डाक हो, हमारा देश और हमारी पुरानी परम्परा जो है, वह इतनी बांझ है कि हमने कोई बहुत नई चीजें दुनिया को नहीं दी। बहुत पहले सदियों पहले हमारे पुरखों ने जरूर कुछ नई चीजें दुनिया को देने का काम किया है, लेकिन कुछ दिन से यह हो गया कि हमने अपनी जो परम्परायें हैं, उनको सींचने का काम नहीं किया, उनको बनाने का काम नहीं किया।

तो फिर इसमें कोई ज्ञान और वैज्ञानिक तथा कोई तकनीक पैदा करने का माद्दा खत्म हो गया। तो हम जो आधुनिक सभ्यता पैदा हुई यूरोप में, जो उनका पूरी तरह से रहने का, लिबास, उनकी तमाम तरह की चीजें, चाहे भवन के बारे में, चाहे तकनीक के बारे में, तमाम चीजों के बारे में उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को स्वाद देना शुरू किया। वह स्वाद बहुत मंहगा था, बहुत कठिन था। उस कठिन स्वाद के चलते, मान्यवर, हिंदुस्तान की बरबादी की तारीख वहीं से शुरू होती है, यानी कि वह ऐसा विध्वंस है कि दुनिया के इतिहास में जिस दिन वर्णित आ जाएगा उस दिन इनसान के इतनी बड़ी आबादी को मशीनों के अंदर और आधुनिकता के अन्तर्गत मारने का, दबाने का और दबोचने का इतिहास दुनिया में शायद नहीं मिलेगा।

पहली बार इस बात को पहचानने का काम आजादी की लड़ाई में सबसे

[श्री शरद यादव]

शानदार आदमी जो थे, उन शानदार आदमियों का नेता महात्मा जी थे, उसने पहली बार पहचानने का काम किया जिसे जन-जन तक ले जाने का काम किया और आजादी की लड़ाई को हमने उन हथियारों के जरिए लड़ने का काम किया और उन मूल्यों को जिस तरह हमने बिगाड़ा है, जिस तरह उनको तोड़ा है, जिस तरह उनको मरोड़ा है और जिस तरह उनके साथ छल किया है, उस छल के चलते हम इस देश में गरीब आदमी के साथ छल कर गये, और, मान्यवर, यह बात मान लेना कि गरीब आदमी के साथ छल करके आप बच जाएंगे– मेरी मान्यता तो यह है कि एक दिन हिंदुस्तान का गरीब आदमी उठेगा और हम लोगों ने जो छल किया है, उसका पाई-पाई करके ब्याज सहित वसूल करेगा। ईस्ट इंडिया कम्पनी के चलते और आज तक हिंदुस्तान के गांवों का पलायन जारी है और तेज होता जाता है, बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे हम आजाद हुए और आजादी की उम्र बढ़ती जाती है, पलायन का रेशो बढ़ता जाता है। कौन लोग हैं, जो पलायन करके गांव से आ रहे हैं ? हमने गांव को उजाड़ बना दिया है, गांव में कोई आदमी बसना नहीं चाहता।

इस सदन में भी जो गांव से सबसे ज्यादा संबंधित लोग हैं, राजनीति जो करते हैं लोग, सभापति जी, और उपसभापति जी, मेरी मान्यता है कि इस देश की जमात में जो सबसे शानदार लोग हैं, तो वह राजनीति करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान के समाज के प्रति जिम्मेदारी सदियों से नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति का काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी मैं मानता हूं, चाहे वह इस तरफ बैठे हैं, या उस तरफ बैठे हैं, वह जनता के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं, जनता के साथ उनका ज्यादा गहरा रिश्ता है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इन सदन में भी आए हुए लोग हैं, वह भी वापिस नहीं जाना चाहते हैं। आज से एक साल पहले एक संसद सदस्य मुझसे बोले कि आप यहां मकान के लिए जो कोआपरेटिव सोसाइटी बन रही है, उसमें अपना नाम लिखवा दीजिए।

मैंने कहा कि क्या जरूरत है ? बोले कि अभी नहीं समझ पा रहे हो, यदि इस समय नहीं लिखवाओगे, तो गांव जब वापिस जाओगे, तो गांव के लोग कहेंगे कि जब इसकी हैसियत थी, तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं और गांव इतने बिगड़ गये हैं, इतने कलई हो गये हैं कि गांव वापिस जाओगे, तो तुम्हारा जिन्दगी तबाह होगी। इसलिए यहां कमरा डाल कर रहोगे, तो जिंदगी बढ़िया रहेगी।

मान्यवर, यानी यह मानसिकता है कि गांव रहने के काबिल जगह नहीं है, गांव जो है, वह लाचारी के, भुखमरी के, गरीबी के, बेरोजगारी के, मुफलिसी के, शराब तथा लट के ठिकाने हो गये हैं और वहां जो परम्परागत चाहे खेत के धंधे में लोग लगे थे और चाहे वह लगातार परम्परागत दस्तकारी के धंधे में लगे थे, चाहे मकान बनाने के, चाहे लकड़ी का सामान बनाने में, चाहे बुनकर थे, धुनकर थे, गांव का एक सिस्टम था, उसमें जो रोजगार में लगे हुए थे, उन सारे लोगों के रोजगार गुलामी के दौरान खत्म हुए और आजादी के दौरान भी लगातार वह जारी है। तो जो लोग यानी हिंदुस्तान में परम्परागत धंधों में लगे हुए थे, वह तमाम लोग धीरे-धीरे उजड़ते जा रहे हैं, उनके धंधे भी चौपट होते जा रहे हैं, यानी हिंदुस्तान में कपड़ा बुनाई का जो आधुनिकीकरण हुआ है, उसके चलते ग्यारह करोड़ बुनकर हिंदुस्तान के बेकार हो गये। अंग्रेज जब आए थे, उन्होंने भी यही किया और हमने भी यही काम जारी किया कि जो हाथ से कपड़ा बनाने वाले लोग थे, हाथ से जो काम और श्रम करने वाले लोग थे, मशीनें लगा लगा करके हमने उनके पेट काट दिये। मशीनों का मतलब विकास है, इनसान की तबाही में नहीं हो सकता है। यदि इंसान से बड़ी मशीन हो जाएगी तो यह विज्ञान डूबोना पड़ेगा। एक बार महात्मा जी को आइंस्टाइन साहब ने

पत्र लिखा कि महात्मा जी, मुझे जानकारी मिली है कि आप विज्ञान के खिलाफ हैं। तो उस पर महात्मा जी का जो पत्र है वह हिन्दुस्तान के लिए आंख खोलने वाला पत्र है, महात्मा जी ने उस पत्र का जवाब दिया कि अच्छा हुआ कि मेरे मित्रों ने जो आपको खबर दी है कि मैं विज्ञान का, ज्ञान का दुश्मन हूं। बात बिल्कुल झूठी है। यदि मैं पत्र न लिखता तो आपको इस बात की जानकारी नहीं होती कि ज्ञान और विज्ञान के बारे में मेरी क्या सोच है और बड़ा अन्याय मेरे साथ हो जाता। उनको उन्होंने पत्र लिख कर कहा कि मैं हर उस ज्ञान के, हर उस विज्ञान के, हर उस मशीन के खिलाफ हूं जो बेरोजगारी पैदा करके देश में तबाही मचाए। आप हिन्दुस्तान में आकर देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके यूरोप का जो मशीन है, जो विज्ञान है उसने इस देश में कितनी तबाही मचाई है और मैं तो इसके इतना खिलाफ नहीं हूं कि इनको जला दिया जाए बल्कि आप खुद सोचेंगे कि दुनिया से विज्ञान को ही जला देना चाहिए। उप सभाध्यक्ष महोदय, उसका लक्ष्य इंसान और इंसानियत की रक्षा करने का है, उसको बनाने का है और उसकी मदद करने का है और सब तरह से इंसान की जिंदगी बेहतर करने का है। आज हिन्दुस्तान के 32 करोड़ लोग होंगे जो उस विज्ञान ने विज्ञान और औद्योगीकरण के चलते बेरोजगार और अर्द्ध-बेरोजगार बनाए। महात्मा जी ने उस समय कहा था कि यहां जो आप मशीनें लाए हैं, जो ज्ञान-विज्ञान लाये हैं उसने यहां के जो बुनकर थे, धुनकर थे, जो मिस्त्री थे उनके पेट की आंतों को आपकी मशीनों ने काटने का काम किया है। इसलिए मैं इन मशीनों के खिलाफ हूं और इस विज्ञान के खिलाफ हूं। यदि कोई मशीन, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान लोगों को रोजगार देने के लिए आए तो कोई एतराज की बात नहीं है। इस देश में लाखों कुम्हार हैं लेकिन आपने पाटरीज कायम कर दी चीनी मिट्टी के बरतन बनाने वाले कारखाने कायम कर दिए और इससे कुम्हार लोग रातों-रात बेकार हो गए। आपने यह सोचा ही नहीं कि यह जो कारखाने खोलकर हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं यह आधुनिकता कितने लोगों को बेरोजगार कर रही है। यदि यह देखने का काम नहीं करेंगे यह सुनिश्चित करने का काम नहीं करेंगे तो फिर मैं सोचता हूं कि बेरोजगारी और पलायन को हम नहीं रोक सकते। हिन्दुस्तान में छोटी मशीनों का जो कंसेप्ट है जहां पर इंसान ज्यादा हैं वह ठीक है। श्रम के इस्तेमाल की बेहतर तकनीक क्या हो इस बात के लिए महात्मा जी ने हमारे सामने जो रास्ता खोला है वह यह है कि क्या हमने कुम्हार के चक्के की मशीन को ईजाद किया बुनकर के हाथ में नए किस्म की मशीन आए जिसके सहारे से वह ज्यादा कपड़ा बुनने लगे ऐसी मशीन का आविष्कार किया, नहीं किया। ऐसा इंतजाम हमने नहीं किया। हमने उसको बेरोजगार करने का काम किया। जब हिन्दुस्तान गुलाम हुआ और अंग्रेज सरकार आई तो हिन्दुस्तान के 35 फीसदी लोग सिर्फ दस्तकारी के धंधे में लगे हुए थे, चाहे वह लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे मिस्त्री हो चाहे शिल्पी हो चाहे भवन निर्माता हो और चाहे कपड़े बनाने वाले लोग हों। इन सब लोगों को धीरे-धीरे हमने बेरोजगार करने का काम किया। आज फावड़ा भी टाटा बनाने लगा है। फावड़ा यदि टाटा बनायेगा तो इतनी संख्या में जो गांवों के लोहार हैं वे क्या करेंगे? गाड़ी और उसके पहिए कारखानों में बनने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि आधुनिकता के नाम पर हमने उनको बेरोजगार किया और बेरोजगार लोग विस्थापित हो करके गांवों से चले गए। गांवों में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, धूल है, कलह है और वहां का जो उत्पादन है, जो रोजगार है, उनके श्रम की कीमत हम नहीं देते इस लिए उनका पलायन होता है शहरों की तरफ वह गांवों से विस्थापित होते है और यहां जब शहर बढ़ता है तो यहां फिर से वही गांवों के लोग विस्थापित हो जाते हैं। यानी दोनों तरफ हिंस-

[श्री शरद यादव]

तान के गांवों और खेत से उजड़े हुए लोग विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापित होना बहुत बुरा है। जब रोजगार छूट जाए तो बाकी दुनिया में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने पर तो दूसरा मुल्क खाना, खर्चा और तमाम तरह की सुविधाएं देता है जमीन देता है लेकिन जब आदमी हिन्दुस्तान के अन्दर ही अपने देश के अन्दर ही विस्थापित होता है तो विस्थापित आदमी की बुरी मौत होती है, वह आदमी दोनों तरफ से जाता है। हिन्दुस्तान में विस्थापन अकेले गांवों के लोगों का हो रहा है। अकेले गांव के लोगों की जमीन डेढ़ रुपये गज ली गई इसी दिल्ली में और हजारों-लाखों रुपया इस देश में कोलोनाइजर्स ने बनाया। यहां हिंदुस्तान में पैसा कमाने वाले लोग आजकल कोई यदि है तो ठेकेदारों के बाद, राजनेताओं के बाद बड़े अफसरों के बाद, अगर कोई माला-माल होने की जगह है तो वह कोलोनाइजर्स की है हिंदुस्तान में शहरों के भीतर गांव के लोगों की जमीन मिट्टी के भाव लेकर, सीलिंग एक्ट में जमीन लेकर कालोनी बनाने का धंधा चला हुआ है, उसके चलते लाखों-अरबों रुपया कमाने का काम यह कोलोनाइजर्स कर रहे हैं देश में यह लोग इतनी तेजी से रईस हुए हैं, इतनी तेजी से पैसे वाले हुए हैं कि उन्होंने सारे सिस्टम को ही करप्ट करके, खरीद कर के रखा हुआ है और गांव के लोगों को विस्थापित करने का काम चला रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ गांव के लोग विस्थापित हो रहे हैं और यह कोलोनाजर्स, जो नए पूंजीपति नए धनाढ्य पैदा हुए हैं, गांव के लोगों की जमीन खरीद फरोख्त कर उन्हें रोजगार से बेरोजगार बना रहे हैं। शहर में आज यह हालत है, यहां आकर गांव का आदमी ज्यादा धंधा नहीं करता, विस्थापित होकर आता है और मूंगफली बेचता है क्योंकि उसके पास कोई स्किल्ड ट्रेनिंग नहीं है और वह यहां आ जाता है तो सिर्फ विस्थापित लोगों की तरह भवन निर्माण के लिए, ईंट का गारा बनाने आदि का काम करता है या फिर मूंगफली बेचेगा या दूसरा कोई ऐसा काम करेगा, रिक्शा चलाएगा, ऐसा काम करेगा जो इंसान नहीं कर सकता है, इंसान का जो काम नहीं है, वह करता है। जो लोग यहां बसे हुए हैं, जिनकी जमीनें लेकर मकान बने हैं, उनकी जमीन के लिए हमने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया कि जो उनकी जमीन बिकेगी, वह उनकी जमीन होगी और उसके दाम जो बढ़ते जाएंगे तो जो गांव-पंचायत है, उसको सारे अधिकार हम सीलिंग एक्ट में दे देते तो मैं समझता हूं कि उनके पास जो संपत्ति आती, जो पैसा आता, उससे नए रोजगार खड़े करने की शक्ति पैदा होती। उसकी सारी की सारी स्किल पाकर जो है वह खेती में काम करने की है, उसे आप छीन लेते हैं और जब उसके पास पैसा आता है तो आधुनिक शहर दिल्ली या दूसरे शहर में आता है, वहां भटक कर अपने को बिगाड़ने का वह काम करता है, शराब पीने का काम करता है और इस तरह जो उसके पास पैसा होता है, उसे बर्बाद करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि जो गांव के लोग हैं, या लाचार लोग हिन्दुस्तान के हैं, जो गरीब हैं, उनको हम जिस तरह से विस्थापित और गरीब से ज्यादा गरीब बनाने का काम कर रहे हैं, इसके चलते मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि यह यह काम हिन्दुस्तान की दुनिया के अंदर जलील करेगा, यह काम दुनियां में जब साधन और संपत्ति कम होगी तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच करेगा। हमारी जो सभ्यता है, वह पांच छह तरह की हो रही है---हम कहते हैं कि इक्कीसवीं शताब्दी में हमको जाना है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जहां बैठे हैं-वहां का आदमी तो जरूर इक्कीसवीं शताब्दी में जा सकता है, लेकिन हिन्दुस्तान को हमने कई सदियों कई शताब्दियों में बांट रखा है। आप देखिए, जगदलपुर में आज भी आधा नंगा आदमी रहता है, वहां आधा नंगा आदमी

बसता है। यह जगदलपुर में जो आदमी आधा नंगा रह रहा है, वह डेढ़ रुपया, दो रुपया पाकर, जंगल के गिरे हुए फल लेकर और तमाम ऐसी चीजों पर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। उस आदमी को भी आपको इस आधुनिक सभ्यता के साथ जोड़ना होगा। जोड़ना इसलिए होगा कि यह जो आप देश को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं, दिल्ली या कुछ चंद शहरों को तो आप ले जा सकते हैं, जहां कि सड़कें बढ़िया हैं, भवन बढ़िया हैं, निवास बढ़िया हैं, पानी बढ़िया है, सुविधाओं से भरे हुए हैं, आधुनिकता से भरे हुए हैं, इनको तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इस आधुनिकता के साथ ही जो कंगाली का समुद्र आसपास खड़ा किया हुआ है, यह आधुनिकता को आग लगा देगा, जब उसमें शक्ति और ताकत आएगी।

[उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए :]

उपाध्यक्ष महोदय, जो सुखी और संपन्न इक्कीसवीं शताब्दी का टापू बनाने का सपना देख रहे हैं, वह रहेगा नहीं क्योंकि हिन्दुस्तान का जो कंगाल आदमी है, गरीब आदमी है, हमारे पैरों पर बंधा हुआ है, जो दुनिया में हमको कहीं सम्मान नहीं दे सकता, उसको भी हमको अपने साथ लेना है। मैं मानता हूं, हम सम्मान के लिए उत्सुक जरूर हैं और हम इतना ही करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे, अमरीका और रूस का समझौता हो जाये तो यहां ताली पीट देंगे। लेकिन गांव का जो आदमी, गरीब और कमजोर है वह और मजबूत इलाके में बसने वाला आदमी दोनों लड़ते हैं तो कमजोर इलाके का आदमी मजबूत इलाके से जाकर कहे कि भाई लड़ो मत तो क्या उस हरिजन मोहल्ले के आदमी की यह हिम्मत है कि वह ब्राह्मण के मोहल्ले में या ठाकुर के मोहल्ले में जाकर यह कह सके। लेकिन हम लोग नकलची लोग हैं। हम दुनियां के मेले में नकलची बनकर घुसना चाहते हैं। हम अपनी तरह से अपने देश का विकास नहीं करना चाहते। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प है इस संकल्प में इस बात पर विचार होना चाहिए कि गांवों से शहरों की ओर जो विस्थापन हो रहा है उसके कारण क्या हैं ? इस विस्थापन के कारणों को दूर करने के उपाय यदि हम नहीं करेंगे तो शहरों का जो विकराल रूप बनता जा रहा है उसको नहीं तोड़ सकेंगे। अगर नहीं तोड़ेंगे तो कंगाल लोग यहां भी बन जाएंगे। यहां भी जे० जे० कालोनियां बन जाएंगी। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो दंगे हुए उनमें जे०जे० कालोनी के लोग बहुत थे। उस दिन आपकी पुलिस किनारे खड़ी हो गयी और जे०जे० कालोनी के लोगों ने जिस तरह मजा मारा है वह भी एक कारण है। क्योंकि जब आप उन्हें नर्क में रखते हैं तो शायद उनके लिए सुख की कल्पना आपके घर में सीमित है। उनके लिए तो रोज सुबह-शाम अंधेरे में गुजरते हैं। वे तो भूख के अंधेरे में जीते हैं और मरते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो विस्थापन का रोग है, पलायन का रोग है इस पर विचार कर इसे रोकिए। हमारा सोच साधारण आदमी के बारे में दूर हो गया है, हमारा सोच कमजोर हो गया है हमारा सोच इंसानविरोधी है। हमारी नीतियां आदमी को मद्दे नजर रखकर नहीं बनती हैं। हम कुछ लोगों को सभी सुविधा देते हैं और दूसरों को कभी नहीं देते हैं। सुविधा भी मजबूरी में देते हैं। मजबूत वर्ग के लोग आपसे सुविधा छीन लेते हैं। लेकिन इस देश के गरीब लोगों को कंगाली और गरीबी में धकेलते जाते हैं। नतीजा यह होता है कि देश में लगातार कानून व्यवस्था और दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। यहां रोज बहस होती है कि मुकदमे बहुत बढ़ गए हैं महंगाई बहुत बढ़ गयी है। इस सबका कारण यह है कि हमने इन समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का काम नहीं किया। हमने अपनी आजादी के जो मूल्य थे, उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इसके चलते आज देश में चारों तरफ निराशा का गर्व व्याप्त है और शहरों के विकास की विकराल समस्या व्याप्त है। कालोनाइजर्स मालामाल होते जा रहे हैं। इस काम को हम तभी रोक सकते हैं जब हम तरीके से इस

[श्री शरद यादव]

देश के साधारण आदमी के बारे में योजना बनाकर काम करें। साधारण आदमी को नजर में रखकर देश को बनाने का काम करें। यदि हम ऐसा करेंगे तभी यह देश बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अपने विचार रखने का जो मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I arn deeply obliged to the mover of the Resolution because he has not only ex-presed concern about those land-owners of the urban areas who are being deprived of their land but he has also expressed great concern about rural peasants as well.

I belong to a village. I am a farmer, I am a peasant with a small holding. Therefore, I know the feelings of a farmer who is really deprived of his land, whether in a village or in a city. That deprivation gets him, according to law, some compensation. So, full compensation is being sought in the Resolution. I-know the pain that he is burdened with in his heart when he is deprived of his land under some law.

After all, this is a social legislation. We have to conform to the legislation. We have to see to the welfare of the people for whom land is taken away from the land-holders. The main spirit of the Resolution brought by Mr. Deshmukh, I think, pertains to that.

My learned friend has rightly said that in this country urbanisation ha3 become the main problem. People want to leave villages. They want to migrate to cities. They want to migrate, firstly, with the intention to settle there. But even if he is not provided a settlement, there the life faciliies are better, the law and order. situations comparatively is bettetr. But when they go to the cities, the biggest tragedy is, as somebody has pointed out, for one person there is a house of iwentyone rooms while in the, slums there is a single room for twentyo'ne person to live. That is the greatest disparity in this country which we must seriously. consider. Under the land Ceiling Act what you take away is the surplus land, not the accommodation. So, the Land Ceiling Act solves a very limited portion of the problem. So long as these disparities continue in cities, 1 do not think we- will be able to solve the larger portion of the problem. I can understand those, cities where there is no industry, where the cities are dying where the houses are dilapidated, they are pulled down and then colonisation takes place. In those cities certain problems can be solved. ' But in a growing city it is. not possible because this disparity is telling. upon the law-making process. Under the Rural Land Ceiling Act and the Urban Land Ceiling Act we have considered about the landholders only. We have to come to a stage when in this country we have to think about taking away the enormous houses that are possessed by one person much beyond his needs. That is one aspect of the matter.

It has been rightly pointed out by many of our friends that every builder in this country and in the cities, except the DDA, is making an immense profit. In spite of so many facilities being provided to the DDA it is the only organisation dealing in land which is suffering losses. Every other such organisation is making enormous profits. I am not saying just to hurt somebody's feelings or to touch the Minister's sentiments, but I want him to think about it because we must not depend on the private or cooperative builders about whom I wit just now. Why don't you set an example to show that a Government-run building organisation does. not suffer loss You get land at a meagre price and as you develop it, its prices go up very high. Moreover, you get all facilities available to you, like cement iron etc. at concessional rates. Then why does your organisation suffer loss? He must think of a builders organisation throughout the country at the State level, at the

district level and at the city level which must make profit, not loss. We must find out an organisation which can provide reasonable accommodation to the urban poor at a reasonable rent or rate. If you cannot build up such an organisation then this urbanisation is going to bring catastrophic results in the country. I do not know much about the European conn: lies, but I do know that they do not have that immense problem because their population growth is not great. In this country with the immense grow'. h of population and immense migration of the people from rural to the urban areas, such a problem has to be there. Soi merely depriving land owners either in I he villages or in the cities of their lands is of no use. They have to be paid adequate qompensation. This was referred to by some hon. Members and I will talk about this separately. So what I proposa is that some national . policy on house building is of paramount necessity in this country which we are still lacking. When the hon. Minister for Finance brought forward are National Housing Bank Bill before this House, which we have passed, I told him on that day that he was touching a very minor portion of the enormous problem. Who will be able to derive benefit out of that Act, nobody knows. I think, it is mostly builders and well-to-do people who will be able to exploit the poor people and the migrants to cities. If an organisation like D. D. A, cannot provide them cheaper houses at cheaper rents with a reasonable accommodation then most of the population will be on the footpaths as is happening in major cities like Delhi, Bombay, Calcutta, etc., etc.

Now coming to the Resolution we have made laws. But those who defeat the laws seem to be wiser enough or at least they can dupe laws or at least they can find out loopholes in the laws. So we have to be very cautious and very quick to cope with the situation. We have to change laws pertaining to urban areas. What was the purpose of the Urban Land Ceiling Act? The purpose of the Act was to procure land. After procuring the land they can build houses for the poor people.

We can see people with land measuring about 10—20 acres attached to their houses in cities like Allahabad and Vara nasi. They were called *ms.* Now these cities have become busy areas. They pur pose of the Act (was to take land from them and to pay due compen sation. The main purpose after acquir ing ihe land was to build houses for poor people who can get accommodation at cheaper rates. What has happened? That law has been defied or in a way the very purpose of zamindari abolition in the cities and the villages was defeated because of collusion between landholders and certain professional builders. They have formed cooperative societies to defeat the very purpose of the Urban Land Ceiling Act. There is a mushroom growth of cooperative builders in various cities I think the first portion referred in this Resolution petains to this. I request the Minister to assess whether the purpose or purport of this Land Ceiling

Act has succeeded or not. I am not one of those who are very much worried about their property rights. The Supreme Court has struck down many legislations relating to property rights from time to time, which led to a large number of amendments in the Indian Constitution. These property rights were of farmers in rural areas Of course the first Zamindari Abolition Act which came from the State of Bihar related to urban people. That was zamindari abolition in the rural side. Almost all the important cases pertaining to the urban property rights were decided by the Supreme Court. We had to amend our Constitution to cope with the situation and conform to laws in consonance with the general spirit of our Constitution. But the

[Shri Bir Bhadra Pratap Singh]

whole question is, are you able to break the grand alliance between the landhol ders and the builders whose land you propose to take under the Land Ceiling Act? They have colluded with each other and defeated the very purpose of law. The law was for a different pur pose. If the purpose of law is defeated, will you kindly think seriously as to how to meet this situation? Not only the builders and the landholders are the active partners in [his defeat but unfortunately, sometimes, the civil courts also cooperate. The greatest culprit in this collusion and fraud is the registration department every where. Take, for instance, ten major cities of Uttar Pradesh everywhere in every fraudulent colonisation, you will find the registration officers are getting something for land to be acquired and there are *benami* transactions. While speaking on a Finance Bill, I said, why don't you abolish capital gains tax and what is the use of ihis tax? If you could abolish estate duty,, what is the use of retaining a provision like capital gains tax? What happens is that when some body transfers his property in a city, then mostly the payment is made in black money and what is shown in the registra tion is a very meagre amount which can not be in consonance with the price of the property. But it is mostly done and the Government is deprived of its share of tax. Those who try to defeat laws in various forms sometimes prove more smart than the law makers. The reason is that there is a lot of mushroom growth of these cooperatives in almost all the cities of India and they are exploiting the situation to the detriment of poor people from whom you are taking the land only in collusion with people of re gistration department. The State Gov ernments know this that they are in collu sion with them but they cannot prevent it. They are helpless. If they cannot prevent it and if they are helpless. I think the very purpose of your Urban Ceiling Act is going to be defeated. Now the whole question is, will you think about them? What has the hon. Member said? His first part is quite correct that the pi ices of land have gone up and he has also referred to the fact that in dealing with various transactions, there is a lot of corruption. He has cited vari ous examples. I have also said about the blackmarketing and the capital gains tax is a typical example of that black marketing. Now part (v) of his reso lution says, "agriculture, which is the mainstay of Indian economy, is being completely destroyed under the garb of hjlping the urban poor". At least. I have not been able to follow this. He will kindly explain the same to me. Of course, deprivation of any poor whether rural or urban, is a bad thing but how agriculture is wholly being destroyed by it. I do not understand. If he means to say that agricultural land in the cities is being taken without giving proper com pensation at the appropriate time to the farmers and as a result of which the far mers lose their main source of livelihood and become propertyless, if that is the purpose, there is some relevance.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Yes that is the [illrpose.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH; There are three-four amendments suggested by him. I would like to place my views before the hon. Minister so tha' he may consider them while carrying out this resolution in reframing the law or even if it is a State subject, in ad vising the State Government to reframe the law in a suitable manner. Part (a) of his resolution is in relation to the com pensation being paid. It asks for im mediate payment to the land owners at the prevaling fair market price instead of deferred payment of l|4th of the fixed price in cash and 3|4th in Government bonds to mature after the expiration of 20 years. What will be the value of the money after twenty years? With the speed at which the inflation gallops and with the recession that is going to follow in this country, supposing you deter mine the compensation at Rs. 10, 000/- and it is paid afttr twenty years, it could be hardly worth Rs. 2000l-. All these things should be kept in mind. After ! all, you are depriving somebody of his

property. You are depriving him of 1 his permanent sources of livelihood, whether in a village or in a city. It you do not pay the compensation then and there with thde increasing inflation and with the coming recession looming large on our economy, what would be the value of the money after twenty years? The land also is not utilised for the purpose it is meant for. Only fraudulent people, builders and so on and so forth are benefited. Also, as he has mentioned in part (b), the law of devolution cf property on legal heirs under this Act is faulty. Why do you make provisions for devolution only on the head and major members of the family? Why should minors be deprived of their shares? That is one major defect in the Ceiling Act which must be rectified. Whether a person is a major or a minor, he is a human being. All the persons eligible for devolution under the Hindu Law should be eligible here also.

Now, at the end, I come to parts (c) and (d). I am myself from a village. I go home every week. I know the pinches and feelings of the villagers'. EarWerg are exploited. They are unable to seek legal redressal also. You can go to a court of law for stay in the case of stakes of Rs. 5 lakhs, Rs. 10 lakhs and so on. But the poor farmer cannot go to court. It is also prohibited. You cannot go to a civil court or approach any forum. Kindly consider this seriously After all, you are depriving them permanently of their source of livelihood, the land. And the land is not utilised for the purpose for which they were deprived of. Kindly think over it seriously.

Very good suggestions have come from Mr. Deshmukh. I really thank him. I welcome the suggestions and support the resolution. Thank you.

4. 00 P. M.

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, नगर भूमि अधिनियम, 1976 में संशोधन के लिए लाये गये संकल्प का मैं स्वागत करता हूं।

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और कश्मीर) : संकल्प का क्या है ?

श्री मीर्जा इर्शादबेग : थोबेड़ा सा सीख लें आप। रेजोल्यूशन।

माननीय, देशमुख जी ने इस सदन में नगर भूमि अधिनियम पर विचार करने हेतु जो हमें चर्चा का मौका दिया है उस के मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस संकल्प में जो सुझाव दिये हैं मैं उनका समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि देश का अधिकांश हिस्सा यदि ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ हो जो अपने आप को किसान कहता हो और देश के अर्थ-तंत्र में जिसका अधिक योगदान हो तो सही मात्रा में उसके विकास को ही सामने रखते हुए हमारी तमाम योजनायें बननी चाहिए इसी से हम देश का अधिक विकास कर सकते हैं। महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के अंदर आने वाले वे लोग हैं जिनके लिये किसी भी सरकार को अपना कार्यक्रम चलाना पड़ता है। यानी जिसको गरीबी की रेखा कहते हैं उसके नीचे रहने वाले लोग, जिनको निर्धन कहते हैं तो इसके अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनका किसानों से संबंध है। यह बड़े दुख की बात है कि आज चालीस वर्षों की आजादी के पश्चात भी उनके विकास की ओर जितना अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। अगर थोड़ा सा इनको ऊपर उठाने के लिये कोशिश की गई तो इनको कहां से पकड़ा जाय, इनको कहां से गिरफ्त में लिया जाय और इनको किस कानून के अन्तर्गत दबाया जाय इस तरह की साजिशें भी हुई हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र जो है यह किसानों से संबंधित है जो कि कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत जुटाता है और 35 प्रतिशत निर्यात के क्षेत्र में इसका योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका अधिकांश हिस्सा है। उद्योगों को रा-मेटीरियल अगर कोई देता है तो वह कृषि क्षेत्र ही है। लेकिन

[श्री मीर्जा इर्शाद बेग]

इसके बावजूद इस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है । विकास की बात दूर इस क्षेत्र को आज निशाना बनाया जा रहा है । महोदय, मैं आपको आंकड़े देकर यह कहना चाहूंगा कि जो लैंड रिफार्म कार्यक्रम चलाया गया है इसमें कई चीजें हमारे सामने आई हैं । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे इस संबंध में । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि चालीस वर्षों की आजादी के पश्चात लैंड रिफार्म कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया लेकिन सही मायने में इस कार्यक्रम का अमलीकरण नहीं हुआ है । पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं, निर्धन जो लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो अपने आप खेतों में हल चलाते हैं ऐसे लोगों के लिये भूमि दिलाने का जो कार्यक्रम सरकार ने चलाया था मैं समझता हूं कि उसका परिणाम हमें उतना अच्छा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इसका कारण मैं यह समझता हूं और जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हमने यह कार्यक्रम देश के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन यह ध्यान नहीं दिया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है । कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कितनी चीजें उनको देनी होती हैं इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया । मैं कहना चाहूंगा कि इसमें अगर किसी का योगदान रहा तो वह हमारे देश के नेताओं का रहा है । अगर पिछला इतिहास हम तलाश करें तो पता लगेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कार्यक्रम कांग्रेस के माध्यम से देश को दिये और उसके बाद खासकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो हिम्मत और साहस इन कार्यक्रमों के संबंध में दिखाया और उन कार्यक्रमों को तेज करने के लिये जिस राजनैतिक दृष्टि की आवश्यकता है उस दृष्टि को उन्होंने सामने रखकर गरीबों के लिये, बेकारों के लिये जो कार्यक्रम दिये हैं उसके लिये इस देश का इतिहास उन्हें कभी नहीं भुला सकेगा । लेकिन जब ये कार्यक्रम चलाये गये, मैं भी उस इलाके से आता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं । मैं एक गांव के किसान का बेटा हूं । मेरे बाप-दादा जमींदार थे । लेकिन वह जमींदारी उन्हें कोई विरासत में नहीं मिली थी या कोई बड़े राज्य या कारोबार में नहीं मिली थी उन्होंने अपने आप जमीन ली थी । 1956 में जब यह कानून आया तो ज्यादा जमीन थी तो जो खेत पर किसान जमीन जोतने वाले थे जाहिर है वह जमीन उनको मिलने वाली थी जितनी जमीन हमारे हिस्से में आई वह हमारे पास रह गई बाकी हमने उनको दे दी । लेकिन आज परिस्थिति का निर्माण यह हुआ है कि जिनको हम किसान कहते थे उन किसानों की परिस्थिति आज ज्यादा नहीं तो लाखों के मालिक बन गये और हम लाखों के इन्सान बने यानी वह लाख रुपये के बने हम लाखों इन्सानों के बने । हमने इस जमीन की प्रक्रिया में सांझीदारी निभाई हमारा सहयोग इसमें रहा लेकिन कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के लागू करने में गैप रह गयत जिसकी वजह से जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिये था जितना लोगों को आगे बढ़ना चाहिये था वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका । क्योंकि इसमें कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग आ गये जिन्होंने जमीन को दबोच लिया । आपने जमीन की तबदीली का जो कार्य था वह किसके हाथ में दिया । हमने पूरी ताकत पटवारी के हाथ में दे दी । हमारे यहां के वकील तो यह कहते हैं कि पटवारी वह चीज है जो शमशान में गड़े मुर्दे को भी जिन्दा करने की ताकत रखता है । इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी हमने एक ऐसे लेवल के इन्सान पर रख दी उसका परिणाम यह हुआ जो सक्षम अथार्टी नहीं थी उसको इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाकर उसके हाथ में जिम्मेदारी दी इस कार्यक्रम के लागू करने में कई घोटाले हुए, कई घपले हुए । जो निहित स्वार्थ वाले लोग थे जिनके पास पैसा था पूंजी थी ऐसे लोगों ने इस कार्यक्रम को अपने स्वार्थ के लिए किसी भी स्वरूप में बेनामी सौदों में या किसी और रूप में सारी जमीन को अपने आप दबोच लिया । इसका परिणाम यह हुआ जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो लाभ जन जन तक पहुंचना चाहिये था जो गरीब किसानों तक पहुंचना चाहिये था वह हम नहीं पहुंचा पाए । लैंड रिफार्म के

कार्यक्रम जो चलाए गये इनको और अधिक बनाया गया। 1950–60 के बीच में लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 26.48 लाख एकड़ जमीन सम्पादित की गई थी उसमें से 20.70 लाख एकड़ जमीन लड-लैस लेबरर्ज को वितरित की गई। 1972 के बाद 44.67 लाख एकड़ जमीन सरप्लस डिक्लेअर की गई और जिस में से सिर्फ 30.67 लाख एकड़ जमीन सम्पादित की गई और 18 लाख फैमलीज को सिर्फ 22.50 लाख एकड़ जमीन ही बांटी गई। अब बताइये इसके पीछे भावना यह थी कि करोड़ों लोगों तक इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाना है तो क्या हम वह लाभ पहुंचा पाए? इसी तरह से 57.39 लाख एकड़ जमीन जो सम्पादित की गई उसमें 34.55 लाख लोगों को सिर्फ 43.20 लाख एकड़ जमीन बांटी गई। अब आप बताइये कितना बड़ा गैप हैं कितने वर्षों के पश्चात् ? श्रीमन्, मैं अब आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूं। नेशनल कमीशन आन अरबनाइजेशन की जो इंटेरिम रिपोर्ट थी इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत उन्होंने कहा था कि जो एक्ट हमने लाया था 1976 में तो उन्होंने इस के बारे में बताया है :—

The extent of vacant land acquired and vested in the Government is 14, 589 acres. And, what was the percentage? Only 8. 78. Express vaacnt land of while physical possession has been obtained is 3, 852 acres only and the percentage is 2. 32. Then, the land used by the Government for house construction Ss a fantastic thing… "

The land used by the Government for house construction, that is, 621 hectares—what is the percentage? It is 0. 37.

यह आंकड़े देखने के पश्चात् हमको लगता है कि यह जो हम कानून लाये थे और जिन लोगों के लिए लाये थे उन तक कितना पहुंचा पाये हैं। हमको यह देखना है कि इसमें क्या लैक्यूनाज हैं। दूसरे आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा :

The land acquired, land exempted and used for construction of housese under the Act, in hectares—

मान्यवर, टोटल जो हमारे राज्य हैं इनमें से 11 राज्यों में तो कोई कायवाही नहीं हुई और लैंड एक्वायर्ड एण्ड वेस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट, टोटल जो राज्य हैं उसका आता है :

The land acquired and vested with the State Government, the total is 14, 588. 64 hectares, while the vacant-land, with physical possession is 3851. 83 hectares. Under sectoin 20 and section 21 the total exemption is 43, 853. 50 hectares. And it is interesting to observe that the total land used for construction of houses is 625 hectares.

मान्यवर, आप बताइये कि हमने जो परिणाम पहुंचाने थे अगर इस मात्रा में इस गीति से आगे बढ़ना चाहेंगे तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि आने वाली सदी तक एक एक इंसान के उसके घर तक इसको पहुचा सकेंगे या नहीं। मैं देशमुख जी के प्रस्ताव का बिल्कुल समर्थन करता हूं। उन्होंने एक बात यहां पर बताई है। उन्होंने इसके लिए एक यूनिट बनाई है। मान्यवर, मैं अपना उद्धरण देकर कहना चाहूंगा कि 56 में जब हमारे पास से जमीन गयी तो उसके बाद हमारे पास में आज जो जमीन है वह आठ एकड़ के करीब है। अब एक गैप बीच में आ गया है। उन्होंने यूनिट को काउंट करने का जो रवैया अख्तियार किया है मैं कहुंगा कि वह बिल्कुल अप्राकृतिक है। मैं वयस्क हो गया हूं, मेरे पिता वयस्क हैं तो पिता को एक हिस्सा या जो भी एडलट हैं उनको एक एक हिस्सा है लेकिन जो एडल्ट नहीं हैं फिर पांच साल के पश्चात उनका भविष्य क्या है और पांच साल के बाद जब वह वयस्क होता है तो आप उसके सामने ऐसी कौन सी बात रखते हैं कि जिसकी वजह से वह अपनी चीज का सम्पूर्ण तरीके से मेन्टिनेंस कर पायेगा। इसके

[श्री नोर्जा इर्शादबेग]

बावजूद आज देश में, वेस्टेड इंटरेस्ट्स यह सब चला रहे हैं कि आज किसान बहुत सुखी हो गया है इसके ऊपर टैक्स इम्पोज कीजिए।

लैंड सीलिंग का कानून जब लाया गया तो उसका मतलब यही था कि ऐसे लोग तो नहीं हैं जिन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन अपने नीचे दबाकर रखी है, और जो उत्पादन का क्षेत्र है वह कुछ लोगों में निहित कर दिया है। लैंड सीलिंग एक्ट आपने यहां पर रख दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने उनकी आय पर सीलिंग लगा दी। आय पर सीलिंग लगा दी फिर फौरन उसके पश्चात् कौन से टैक्सेज लगाने की बात कर रहे हैं। किसान इनका भुगतान कहां से कर पायेगा।

It is totally unscientfiici; it is totally unnatural.

मान्यवर, किसान कभी भी ऊपर उठ नहीं सकेंगे। तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी वयस्क हैं या अवयस्क हैं– हां फैमिली प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इतना जरूर कर दीजिए कि दो से ज्यादा को वयस्क नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम अवयस्क दो बच्चे हैं तो दो बच्चों के यूनिट के लिए मैं मांग करूंगा कि सरकार इस चीज को देखे, इसकी जांच कराये और इनके साथ इन्साफ करे, न्याय करे।

इसी तरह से सीलिंग के अंतर्गत जो लैंड सरप्लस ली, अब यह कहना चाहते हैं कि उसका चतुर्थांश देंगे बाकी 3/4 को बांड में देंगे। मान्यवर जब सरकार जमीन लेती है या उसका एक्विजीशन हो जाता है तब आप कहेंगे कि इनको तो हम टोकन से ले लेंगे और जब किसान अपने मकान के लिए या दूसरे ढंग से जमीन मांगता है—अभी मैं देशमुख साहब से समझ रहा था—जिस ढंग से कुछ लैंड्स जिन लोगों को वापिस दी गई, जो जागीरदारी एबालिशन ऐक्ट के अंदर आती थीं, या तो दूसरे ढंग की– हमारे यहां गुजरात में उसको "नई शरत की" कहते हैं। अब नई शरत की जमीन के लिए कानून यह बनाया गया कि जब भी आपको अगर उसको एग्रीकल्चरल से नान-एग्रीकल्चरल में तबदील करना है, तो उसका जो आकार है, उसका 80 पर्सेंट आपको देना है और उस वक्त की जो मार्केट वैल्यु है, उसको गवर्नमेंट में आपको सबमिट करनी है और तब जाकर वह उसके आकार के मुताबिक या पुरानी शरत में वह जमीन हो जाएगी।

अब मैं पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, इतने वर्षों के पश्चात् आज अगर जो आपने यूनिट दिया था उसको ध्यान में रखते हुए अगर बढ़ाते जाएं—मान्यवर, अगर मैं अपने पिताश्री का एक बेटा था दो दूसरे हमारे भाई थे आज मैं व्यस्क हो गया, वह व्यस्क हो गये उनके घर दो-दो अगर बेटे हो गये—आप बताइये कि इस संगत में या इसके साथ संबंधित अगर इस कानून को हम यहां पर लगायें, तो उस किसान की या उन लोगों की हालत क्या होगी ?

कम से कम हमको देखना चाहिए कि किस ढंग से—हमारा प्रोग्रेस रेट, हमारा ग्रोथ रेट क्या है ? आज किसान की एक वर्ष में उसकी हालत कितनी सतह से ऊपर उठती है ? मंत्री जी तीन साल में या पांच साल में एक साल खराब आ जाता है, जहां पर ड्राऊट आता है, फसल खत्म हो जाती है। आप बताइये कि ऐसे किसान की हालत का हम कैसे सुधार करेंगे और ऐसे कानून यहां पर लगा करके इस किसान को मारने की बात यहां पर की जा रही है।

मान्यवर, मैं यह ताकीद करूंगा और मांग करूंगा कि अगर उसकी सरप्लस लैंड ली जाएगी, उसी लैंड को अगर आप ले कर के वहां पर कोई बिल्डर बनाता है, तो एक स्क्वेयर फुट के, एक स्क्वेयर इंच के पैसे वहां गिने जाते हैं और वह लोग क्या करते हैं, मान्यवर, मंत्री जी यहां पर हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, वह भी इस बात की तह तक जायें कि आपने जो कानून बनाया है—सैक्शन 21, यह सैक्शन 21 आपको इजाजत देता है कि बीकर सैक्शन के लोगों के लिए आप मकान बनायें।

अब आपने इजाजत तो दे दी कि वह 40 या 80 मीटर के मकान बना सकेंगे। मान्यवर मुझे कहते हुए बड़ा ताज्जूब और आश्चर्य होता है कि हो क्या रहा है. मंत्री जी मेरे इस कथन को नोट करें और इसकी जांच करवायें, वीकर सैक्शन के नाम पर यह इजाजत लेकर के वहां यह 80 मीटर का वह एक मकान तैयार करके ऐसे दो मकानों को जोड़ कर वह वहां पर बड़ी डीलक्स टाईप का, बड़ी लक्जूरियस टाईप के फ्लैट बनाते हैं जिसकी कीमत लाखों में आती है। इसके लिए मैं मंत्री जी से चाहता हुं कि वह इसकी जांच करवायें।

वीकर सैक्शन के नाम पर आज इसकी लाश पर बैठ कर के ऐसे गिद्ध वह जो मांस खाने की तैयारी कर रहे हैं उनको दबोचिये, आप पकड़िये। देश के तमाम काला बाजार करने वाले और काला धंधा करने वाले लोग आज इसमें आ गये हैं और बेचारे गरीब लोगों को क्या देते हैं? एक इनसान का मकान है वहां पर अगर बहुमंजिली इमारत बनानी है, उसको एक लाख रुपया दे देता है और करोड़ों की इमारत वहां बना दी और उसका भोग करने वाले कौन हैं?

सो इसकी हमें जांच करवानी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करवायें। इसके बाद जो सरप्लस लैंड हुई थी, अब उसका डिमार्केशन हो गया है—गवर्नमेंट ने भी किया है। वहां पर हाऊसिंग स्कीम्स के लिए उसका डिमार्केशन कर दिया गया है।

मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि इसकी भी जांच करवा लें कि कितने राज्यों में ऐसी लैंड की जांच कितने वर्षों से करके रखी है और वहां पर गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कीम लागू नहीं करने की वजह से उसके ऊपर इल्लीगल एनक्रोचमेंट हुआ है और स्लम डेवेलप हो गये हैं।

तो, मान्यवर, जब देश का एक-एक नागरिक आज अपने एक मकान के लिए अपना सिर छिपाने के लिए अगर अपनी पूरी चीज लेकर के वहां जाना चाहता है, तो मैं मांग करता हूं कि कितने स्लम्स वहां पर—बम्बई, कलकत्ता ईवन दिल्ली की जो हालत है, अगर इस हालत में हमें सुधार करना है, तो हमको चाहिए कि हम इसके सुधार के लिए अपनी पूरी कोशिश करें।

आखिर में मैं सिर्फ एक आबजरवेशन मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, देश में स्लम की हालत क्या है, एक आब्जरवेशन यह कह रही है :—

"On an average, according to the 1981 statistics, 20 to 30 per cent of the 156. 2 miillion urban population in India live in slums while urban populatioin constitutes only 24. 73 per cent of the total. A study shows more than half the population in the second highest populated city of Bombay live in miserable conditions occupying less than 25 per cent of the residential area of the city. There a[r]e about 4. 20 mililon pavement or slum dwellers in the city forming 51. 03 per cent of the ctiy population. This figure increases at the rate of 3. 35 per cent annually.

By 1990 when Calcutta will have a population of 125 lakhs, its slums will be harbouring 44 lakh residents. Bombay will have then a population of 118 lakhs of whom 41 lakh will be slum dwellers; Delhi will have a populatoin of 97 lakhs with 32 lakh people living in slnmc."

तो मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इन कानूनों को अगर कारगर बनाना है, सक्षम बनाना है तो हमें चाहिए कि जिन लोगों के पास से हम जमीन लेते हैं उनको भी सही न्याय मिले और कम से कम किसानों की जो जमीन है जब वह उनके पास से लेते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छे ढंग से मुआवजा देना है तो मैं उसका संपूर्ण समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि उनको उस जमीन का म र्केट वेल्यु से भुगतान होना चाहिए। उसके

[श्री मीर्जा इर्शादबेग]

साथ-साथ जो आपने फैमिली की व्याख्या की है, एक यूनिट की व्याख्या की है उसमें रद्दो-बदल किया जाए और जो नान-एडल्ट मैम्बर हैं उसको भी एडल्ट समझ करके एक यूनिट बना कर उसको भुगतान करने की भी मांग करता हूं। महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जय हिन्द।

उपसभाध्यक्ष (श्री ह० हनुमनतप्पा) : श्री राम अवधेश सिंह।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री देशमुख जी ने जोयह प्रस्ताव लाया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद करता हूं। इस प्रस्ताव के माध्यम से इस मुल्क की सबसे जलती हुई समस्या पर सदन को विचार करने का मौका मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन में जो विचार आए हैं दोनों पक्षों से, सरकारी पक्ष से और विरोधी पक्ष से, उन तमाम विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे ऐसे ठोस काम करेगी जिससे भूमि संबंधी जो झगड़े खड़े हो रहे हैं, भूमि से संबंधित जो शोषण हो रहे हैं, उनका निराकरण हो सकेगा और सबको जो गांवों में हैं, जिनकी जमीनें ली जा रही हैं, या शहर के किनारे जिनकी जमीनें ली जा रही हैं, उन तमाम लोगों को न्याय मिल सकेगा। महोदय, इस प्रस्ताव का दायरा इतना व्यापक है कि इस पर विचार करते समय हमें काफी सावधानी से काम लेना होगा। महोदय, जमीन शहरों में भी और गांवों में भी काफी महंगी हो रही है। जैसा प्रस्ताव के शुरू में ही कहा गया है कि इनके कारणों में जाना होगा। सरकार को जानकारी होगी, शहरों में जमीन क्यों महंगी हो रही है, और गांवों में भी क्यों महंगी हो रही है। उसका एक मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के तरीके से जो भी पैसा कमाते हैं वे समझते हैं कि शहर में जरूर कोई मकान बनाना चाहिए। और सरकारी मशीनरी में कोई छोटा भी आदमी है, चपरासी ही क्यों न हों, क्लर्क ही क्यों न हो, अफसर क्यों न हो, अफसर को तो मकान खड़ा करना ही है, घर बनाना ही है किसी न किसी तरह से विधायक हो, एम०पी० हो, वह जो शहर में एक बार आ जाता है, शहर की सुविधा से अवगत हो जाता है, वह चाहता है कि किसी भी कीमत पर वह शहर में जरूर घर बना लें, छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं। इसका एक कारण यह है कि गांव की जो स्थिति है, वहां रहने के लिए रहने लायक इस हुकूमत ने पिछले 40 साल में कुछ नहीं किया और गांव से लोग पलायन कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष्य महोदय, पलायन दो तरह के हैं। एक तो पढ़े-लिखे लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके लायक न शिक्षा है, न उनके लायक वहां का वातावरण है, न सड़क है, न अस्पताल है। इसलिए पढ़े-लिखे लोग गांव छोड़कर शहर भाग रहे हैं और शहर में अगर कोई आ गया तो वह इस फिराक में रहता है कि कहीं न कहीं से मकान बनाएं। भ्रष्टाचार के मूल कारणों में से एक मूल कारण यह भी है कि शहरों में घर बनाने की प्रबल इच्छा हर आदमी को हो गई है। इस पर रोक लगानी चाहिए। खासकर जो आफीसर हैं, वह निश्चित तौर पर गांव नहीं लौटना चाहते हैं बल्कि जो पढ़े-लिखे गांव के हैं, वे अवकाश प्राप्त करने के बाद वापस नहीं जाना चाहते। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर जो अवकाश प्राप्त करते हैं, उन पर यह सख्त पाबंदी लगानी चाहिए कि आप शहर में नहीं रह सकते, आप गांव में जाओ। उनके गांव में जाने से वहां का वातावरण अच्छा बनाने में वह सहयोग दे सकते हैं, जो संस्कार हैं, गांव के लोगों में, उनको सुधार सकते हैं, अच्छे संस्कार वहां ला सकते हैं, सामाजिक अंध विश्वासों को मिटा सकते हैं, सुधार का एक अच्छा काम वहां कर सकते हैं।

महोदय, चीन ने जैसे कहा और किया भी कि पढ़े-लिखे लोग, खासकर डाक्टर लोग जो शहर में रहना चाहते थे, उनको जबर्दस्त ढंग से अभियान चलाकर गांव में भेजा और कहा ही नहीं, उनको गांव

में भेजा। तो हम लोगों को भी इसी प्रकार पाबंदी लगानी होगी कि कोई भी आदमी अवकाश प्राप्त करने के बाद गांव में जायें, उन्हें शहर में नहीं रहने दिया जायगा। इससे भ्रष्टाचार को भी रोकने में मदद मिलेगी।

उप सभाध्यक्ष महोदय, जैसा और साथियों ने कहा कि सस्ती दर पर किसानों की जमीन ली जाती है और फिर वही, सरकार या सहकारी समितियां, गृह निर्माण समितियां या आवास बोर्ड, जैसे दिल्ली में डी०डी० ए० है, या इस तरह की जो संस्थाएं हैं, मकान बनाने को, वह सस्ती दर पर जमीन लेती हैं और कुछ रुपया लगाकर उसे विकसित करने के बाद सौ गुना, दो सौ गुना, तीन सौ गुना दामों पर बेचती हैं और यह किसको बेचती हैं ? दो सौ गुना, तीन सौ गुना दाम पर, सोचने की बात है। क्या शोषित-शोषित वर्ग का आदमी देगा ? हरिजन देगा ? आदिवासी देगा ? नहीं देगा, बल्कि वे लोग देंगे, जो व्यापार से या नौकरी में भ्रष्टाचार करके, भारी पैसा कमाते हैं, वही देते हैं, इतना पैसा। सरकार यह एलान करती है कि हमें गृह-विहीनों को गृह देना है। इसलिए आवास-बोर्ड करीब-करीब हर राज्यों में बनाए गए हैं, बेघरों को घर देने के लिए। बेघरों को घर देने का नारा देकर किनको मकान दिया जाता है, इसका आप एक सर्वे कराइए। आप देखिए कि बेघरों को घर देने के नाम पर कितने बेघरों को घर दिए गए हैं ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, इधर एक नई योजना चली है-इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के बारे में मैं चाहता हूं कि इसे जरूर देखा जाय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक संसदीय कमेटी बनायी जाय। हर राज्य में देखा जाय कि किस तरह का डिजाइन और किस तरह के घर बनाए जा रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कबूतरखाने जैसा घर बनता है। एक छोटा-सा घर जिसमें तीन-चार फीट का एक बरामदा होता है और उसके सिवाय कुछ नहीं है। हम लोगों की यह परंपरा रही है कि जो गरीब हैं, चाहे हरिजन भी हों, उनके यहां भी जानवर बांधने की—बकरी बांधने की, गाय-भैंस, भेड़ बांधने की जगह रखी जाती है। तो केवल बरामदे से काम चलने वाला नहीं है। एक कमरे का घर। तो वह कोई जगह नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो इन्दिरा आवास बनाए जा रहे हैं वह कबूतरखाने की तरह के बनाए जा रहे हैं। उसमें इन्सान के रहने लायक जगह नहीं है। उसका 12 हजार, 14 हजार दाम तय किया जाता है। आज 12 हजार 14 हजार में कोई मकान बनेगा ? वह तो कच्ची ईंट को मिट्टी के गिलावा से जोड़ देते हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय। एक साल मकान बने होता है और दूसरे तीसरे साल में वह गिरने लगता है, और नाहक देश का पैसा बर्बाद होता है। इस पर कोई रोक नहीं लगायी जा रही है। मैं चाहूंगा कि इसमें भी सुधार किया जाय।

(समय की घंटी)

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें जिनकी जमीन ली जाती है, उनको कोई सहारा नहीं दिया जाता है। मैंने पटना के आसपास देखा है कि जिनकी जमीनें ली गयी हैं उनको एक तो समय पर मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरी बात उस एरिये में हाउसिंग बोर्ड ने जो घर बनाए, तो दुकानें किसी बाहर के व्यक्ति को दे दी। किसी व्यापारी या बनिये को दे दी। जिनकी जमीन ली गयी, उनको एक दुकान भी नहीं दी गयी और हाउसिंग बोर्ड में कोई नौकरी ही दी गयी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि उन्हें दो में से एक जरूर दें। मंत्री जी जरा ठीक से सुनने की कृपा करें।

शहरी विकास संबंधित में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): आप बोलिए मैं सुन रहा हूं।

श्री राम अवधेश सिंह एक काम उनके लिए जरूर करें। उस इलाके में अगर आप कोई मार्केटिंग काम्प्लेक्स विकसित

[श्री राम अवधेश सिंह]

करते हैं तो जिनकी जमीन ली जाती है उनको कम-से-कम दुकान जरूर दीजिए अन्यथा सरकार में उनको नौकरी दीजिए। आप उससे सस्ती दर पर जमीन ले लेते हैं। थोड़े समय बाद उसके पास पैसा बचेगा नहीं। वह दो-तीन साल में पैसा खा जाएगा और फिर या तो वह अपराधी बन जाएगा या भिखारी बन जाएगा। तो आपकी जो वर्तमान नीति है उसमें या तो आप उनको अपराधी बनाएंगे या भिखारी बनाएंगे। आपका लक्ष्य है कि इंसान बनाएं, बेघर को घर दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : अब आप समाप्त कीजिए। यह आखिरी फायदे हैं। यह डिस्कशन खत्म करना है और मिनिस्टर का रिएक्शन भी सुनना है।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, 5 मिनिट हमारे बढ़ाये गए हैं आप द्वारा। इसके लिए 5 मिनिट और बोलने दें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Do you want •Minister's reaction or not. ? In that case, you must conclude now.

आप दो मिनिट में भाषण समाप्त कीजिए। मिनिस्टर को रिप्लाय भी देना है।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, दो मिनिट में तो नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): आपको भाषण ही देना है या गवर्नमेंट का रिएक्शन भी सुनना है।

श्री राम अवधेश सिंह : हां हां सुनना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): तो दो मिनिट में खत्म कीजिए। नहीं तो दो मिनिट के बाद मैं मिनिस्टर को बुलाऊंगा।

श्री राम अवधेश सिंह : ऐसा मत करिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): करना पड़ेगा।

श्री राम अवधेश सिंह: जमीन सुधार के जितने कानून बनाये गये उन में क्या सुधार हुआ इस को आप जानते हैं। मैं उस में जाना नहीं चाहता। इस प्रस्ताव में है कि गांव की जमीन महंगी हो रही है। उसके कई कारण हैं। मैं उन में भी जाना नहीं चाहता। पिछले तीन दशकों में 21 फीसदी से 41 फीसदी भूमिहीनों की संख्या हो गयी है। हमारी नीति ऐसी रही है कि जो सीमांत किसान थे वे धीरे धीरे भूमिहीन होते गये और मजदूर बनते गये और जमींदार लोग हजारों हजार एकड़ जमीन दबाये बैठे हुए हैं। तो जमीन के बारे में मेरी सुलझी राय यह है कि जो खेती की जमीन है जिन पर जमीनदारों का कब्जा है उन को खत्म करने के लिये एक ही उपाय है कि जो खतियान हैं उन सब पर पैट्रोल डाल कर आप उन सब को जला दें। लैंड सीलिंग के कितने ही कानून आप बनायें शासन और प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ निहित स्वार्थ वाले ऐसे लोग हैं कि वे एक इंच भी जमीन निकलने नहीं देंगे। इस लिए रेकार्ड आफ राइट्स को आग लगा देनी होगी और आप एक वाक्य का कानून बनाइये कि जो धरती की छाती पर हल की नोक से लिखेगा वही धरती का अधिकारी होगा। कागज पर कलम की नोक से खींची गयी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें धरती पर अधिकार नहीं बना सकेंगी मतलब यह कि कागज पर खींची गयी कलम की नोक से टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से प्राप्त अधिकों को रद्द करना होगा तभी जा कर भूमि समस्या का समाधान होगा। **(समय की घंटी)** मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। सारे देश में करीब करीब जमींदारी खत्म हो गयी है लेकिन टाटा की जमींदारी हमारे बिहार में ज्यों की त्यों है। क्या टाटा की जमींदारी खत्म करने की हिम्मत इस सरकार में नहीं है ? टाटा की जमींदारी बरकरार रख कर यह सरकार अपने चेहरे पर एक बदनुमा दाग रख रही है। टाटा की जमींदारी बिहार में खत्म हो गयी थी लेकिन भारत सरकार ने राज्य सरकार पर दबाव डाल कर पुन टाटा की जमींदारी को वापस किया और वहां उसे बनाये रखा।

मैं आप को धन्यवाद देते कर कंक्लूड करते हुए एक वाक्य कहना चाहता हूं कि सरकार इस तमाम बहस की रोशनी में ऐसा कदम उठाये ताकि सही मायने में बेघरों को घर मिले और हरिजन, आदिवासी और माइनारिटीज के लोगों को, पिछड़े लोगों को मकान दिया जाये। जिन की जमीन ली जा रही है, उन को उन की जमीन बदले जो मकान बनें उनमें से एक मकान जरूर दिया जाय। दूकान जरूर दी जाय। धन्यवाद

श्री दलबीरसिंह : माननीय उपसभापति जी सम्माननीय देशमुख जी ने अरबन लैंड सीलिंग ऐंड रेगुलेशन ऐक्ट 1976 के संबंध में जो रेजोल्यूशन संसद के समक्ष पेश किया और उस की बहस में हमारे सम्माननीय 20 सांसदों ने भाग लिया उन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस लिये देता हूं कि माननीय सांसदों ने भी कहा और यह ऐक्ट 1976 में जब बना तो इस का उद्देश्य भी यही था कि हमारे राज्यो में और केन्द्र शासित क्षेत्रों में हमारी राज्य सरकारें उन अरबन एरियाज को जो अतिरिक्त जमीनें हैं उनका अधिगृहीत करेंगी जो एक्सेस लैंड हैं और उन पर वीकर सेक्शन्स के लोगों के आवासों का निर्माण होगा। लेकिन हम स्वयं इस बात को महसूस करते है कि यह एफेक्टिव नहीं रहा। इसके साथ साथ जहां तक सेक्सन 21 की बात है, जिसमें स्कीमें बनाई जाती हैं गरीबों के मकान निर्माण की जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें जिनकी जमीन ली जाती है उनको पूरा कंपेंसेशन नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सम्माननीय सांसदों ने और खासकर श्री देशमुख जी को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसे विषय का उठाया। हमारे बहुत से संसद सदस्य हमारी कैंसल्टेटिव कमेटी के मैंबर हैं उन्होंने दो बार कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक जो बुलाई गई, उसमें भी इस पर चर्चा की। यहीं पर आज राज्य सभा में यह प्रश्न आया, इसमें 20 सांसदों को बोलने का मौका मिला और उनके द्वारा जो वेल्युएबल सजेस्शंस दिए गए हैं, उन पर सरकार विचार करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मट्टू साहब, रुद्रडी साहब कल्पनाथ राय जी और रामचन्द्र विकल जी तो हमेशा गरीबों के लिए बोलते हैं, और श्री देसाई जी ने जो सुझाव दिए हैं और श्री देशमुख साहब ने जो बातें कंसल्टेटिव कमेटी में भी उठाई थीं और यहां भी विस्तृत रूप से कही हैं उन पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की जमीनें लेकर जो शहरों की पैरिफरी में हैं 5 से 8 किलोमीटर की परिधि में हैं उनका जब ऐक्विजिशन किया जाता है तो उनको केवल 25 परसेंट देकर बाकी राशि 20 साल के बांड में भुगतान की जाती है। प्रधान मंत्री जी ने 28 फरवरी 1987 को अपने बजट भाषण में कहा कि हमें यदि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा आवास की सुविधा देनी है क्योंकि हम स्वयं महसूस करते हैं कि आज गांवों के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं और न केवल यह दिल्ली की समस्या है बल्कि सभी मैट्रोपोलिटन सिटीज की है और छोटे शहरों की है उन सभी की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह कहा और हमारे मंत्रालय को निर्देशित किया कि नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन की जो अंतरिम रिपोर्ट है उसको किस तरह से लागू किया जाए और उसको इफेक्टिव बनाया जा सके। इसी तारतम्य में हमने इस नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन की रिपोर्ट को राज्य शासनों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा है और उनकी राय मांगी है। अंतरिम रिपोर्ट है, उसको भी हमने लाइब्रेरी में रखा है यहां पर संसद सदस्यों को भी भेजा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत से सम्मानित सदस्यों ने कहा, जब हाउसिंग मिनिस्ट्री थी उसमें श्री भीष्म नारायण सिंह से लेकर सभी मंत्री कहते रहे हैं कि यह कानून इफेक्टिव नहीं रहा इसलिए क्यों इफेक्टिव नहीं रहा, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारे सम्माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने जैसा बजट सैशन में कहा और ज्यादा ऐंफेसिस इस मुद्दे को दिया है, उन होंने कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जिसके लिए बहुत अच्छा लेजिस्लेशन लाने के लिये प्रयोजन बने, इसको कांप्रिहेंसिव बनाया जाए ताकि ऐक्ट में बार बार तब्दीलो लाने की, अमेंडमेंट करने की आवश्यकता न हो। यह सारा मामला अंडर कंसिडरेशन है। मैं सदन को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं

[श्री दलबीर सिंह]

खुद किसान हूं, आप में से बहुत से किसान भाइयों ने जैसा कहा कि ऐग्रिकल्चरल लैंड ले ली जाती हैं और उसका कंपेंसेशन बहुत कम मिलता है। मैं अपने माननीय सदस्यों को इस माननीय सदन में यह आश्वासन दूंगा कि बहुत जल्दी हम एक लेजिस्लेशन लायेंगे। 'आप बार-बार कहते हैं यह चीज लायेंगे लेकिन लाते नहीं,' इस बार मैं आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्दी लायेंगे। एक माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया कि 1979 में वर्क्स हाउसिंग मिनिस्टरी में एक कमेटी बनी थी और 1980 में उसकी रिपोर्ट भी आ गयी थी, और भी सदस्यों ने बहुत सी चीजों कहीं हैं, किसी सदस्य ने पूछा कि परिवार की परिभाषा किस तरह की हो यह भी बताया जाना चाहिए। इन सारे आसपेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि वह लेजिस्लेशन लाया जायेगा।

श्री गुलाम रसूल मट्टू : मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जनाब ने यह फर्माया कि हम एक बिल इसके मुतल्लिक तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी वह सदन के सामने लायेंगे और साथ ही आपने यह खुद फर्माया कि बीस सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इन बीस सदस्यों ने जो तजवीज आपके सामने पेश की और जो कमेटी इस वक्त कानून बना रही है तो क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इन सारी तजवीजों को कंसलटेटिव कमेटी के लोगों के सामने रखा जायेगा ताकि जब बिल लाया जायेगा उसमें वे शरीक हो सकें।

†[شری غلام رسول مٹو : میں آپکی توجہ دلاؤنگا کہ جناب نے یہ فرمایا کہ ہم ایک بل اسکے متعلق تیار کر رہے ہیں اور بہت جلدی وہ سدن کے سامنے لائینگے اور ساتھ ہی آپ نے یہ خود فرمایا ہے کہ بیس سدسیوں نے اسمیں حصہ لیا تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان بیس سدسیوں نے جو تجویز آپکے سامنے پیش کی اور جو کمیٹی اسوقت قانون بنا رہی ہے تو کیا منتری جی یہ آشواسن دینگے کہ ان ساری تجویزوں کو کنسلٹیٹیو کمیٹی کے لوگوں کے سامنے رکھا جائیگا تاکہ جب بل لایا جائیگا اسمیں وہ شریک ہو سکیں۔]

श्री दलबीर सिंह : इसमें कोई शक नहीं है। आप माननीय सदस्य ही कानून बनाने वाले हैं, लेजिस्लेशन आप बनाने वाले हैं। देशमुख जी ने रेजोलूशन पेश किया है, मालवीय जी और दूसरे मेम्बरान कंसलटेटिव कमेटी के सदस्य हैं जो इस पर बोले हैं मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं कि बड़े स्यूटेबल टाइम पर सदन में यह चीज लाये हैं। हमारा परपज भी पूअर सेक्शन को ऊंचा उठाना, उनको सहूलियतें देना है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आप लोगों के जो तमाम सुझाव हैं उनको बराबर उनमें रखा जायेगा। कई माननीय सदस्यों ने कामन लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, लैंडलैस वर्कर्स के लिए काफी कुछ कहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि आपने रूरल एरियाज में क्या किया। मैं बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 577 करोड़ रुपये लैंडलैस वर्कर्स के लिए हमारे पास है लेकिन उसमें शर्त यह है राज्य शासन पर-ड्वलिंग यूनिट 100 वर्ग गज जमीन देगा और प्रोपोजल सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा और हम उस परिवार को 2000 रुपये कंस्ट्रक्शन के लिए और 500 रुपये साइट डवलपमेंट के लिए देंगे, ऐसी योजना है। राम अवधेश सिंह जी ने कहा इन्दिरा आवास योजना के लिए क्या किया। इन्दिरा आवास योजना का काम रूरल डवलपमेंट मिनिस्टरी का है। यदि उसमें कुछ दिक्कतें हैं तो हम जरूर आपकी भावनाओं को उन तक

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

पहुंचायेंगे। मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जो डिफेक्ट एक्ट में हैं उसमें भी संशोधन करने का विचार है। इसी तहत आप लोगों ने देखा है कि हाउसिंग में किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। लोक सभा में और यहां पर भी नेशनल हाउसिंग बैंक बिल पास हुआ है। ऐसे ही हम और भी प्रस्ताव ला रहे हैं। हमारी यह योजना है कि चाहे शहर के लोग हैं या हमारे गांव के लोग हैं सब को मकान मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय देशमुख जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपना रेजोलूशन वापस ले लें।

श्री गुलाम रसूल मट्टू: : मंत्री जी ने यह जो आश्वासन दिया है इसके बाद मैं भी देशमुख जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपना रेजोलूशन वापस ले लें।

†[شری غلام رسول مٹو : مانتری جی نے یہ جو آشواسن دیا ہے اسکے بعد میں بھی دیش مکھ جی سے ریکویسٹ کرونگا کہ وہ اپنا ریزولوشن واپس لے لیں -]

श्री रफीक आलम (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। चूंकि मंत्री जी ने वायदा किया है कि वे नया बिल लाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उसको देखते हुए हमें ठीक तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसा न हो कि घर तो बन जाय, लेकिन खाने को कुछ न मिले। आप दिल्ली को ही ले लीजिए। दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही है। मकान बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आज हाउसिंग एक नेशनल प्रोबल्म हो गया है। इस प्रोबल्म पर बहुत गम्भीरता से सोचा जाना चाहिए। अगर हमारी जमीन पर मकान बनते जायें, जमीन घटती जाय, हमारी पैदावार भी घटती जाय तो हम खाएंगे क्या? कहीं ऐसा न हो कि मकान तो बन जाय लेकिन खाने के लिए जापान से या दूसरे देशों से चीजें मंगानी पड़ें। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि कानून तो बनाते रहते हैं, लेकिन हमें कानूनों पर सोचने और समझने का वक्त नहीं मिलता है। इस मंत्रालय की कंसलटेटिव कमेटी में हम सब एम०पीज० हैं। जब कभी आप इस प्रकार का बिल लायें तो उस कमेटी के सामने भी रखें तो हम लोग उसके बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके कानून में कहा गया है कि 114 तो नगद दे देंगे और 314 हिस्सा 20 साल के बाद देंगे। 20 साल के बाद जमीन की कीमत बढ़ जाती है। इसमें तरमीम करने की जरूरत है। जो भी मार्किट रेट हो उसके मुताबिक लोगों को कीमत उसी वक्त दी जानी चाहिए। 20 साल के बाद देने की बात नहीं होनी चाहिए। आप उन लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, यह उम्मीद करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

†[شرو رفیق عالم (بہار) : اپ سبھا پتی مہودے - میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں - چونکہ مانتری جی نے وعدہ کیا ہے - کہ وہ نیا بل لائینگے - اسلئے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اسکو دیکھتے ہوئے ہمیں ٹھیک طریقے سے پلاننگ کرنا پڑے گا - ایسا نہ ہو کہ گھر تو بن جائے لیکن کھانے کیلئے کچھ نہ ملے آپ دلی کو ہی لے لیجئے - دلی کی

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

[شری رفیق عالم]

آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے - مکان بنانے کیلئے جگہ نہیں مل رہی ہے - آج ہاؤسنگ ایک نیشنل پرابلم کیا ہے- اس پرابلم پر بہت گمبھیرتا سے سوچا جانا چاہئے - اگر ہماری زمین پر مکان بنتے جائیں زمین گھٹتی جائے - ہماری پیداوار بھی گھٹتی جائے - تو ہم کھائینگے کیا - کہیں ایسا نہ ہو کہ مکان تو بن جائے لیکن کھانے کیلئے جاپان سے یا دوسرے دیشوں سے چیزیں منگانی پڑیں - اسلئے میں ملتوی مہودے سے اپیل کرونگا - کہ قانون تو بناتے رہتے ہیں - لیکن ہمیں قانونوں پر سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہیں ملتا ہے - اس سلیکٹ کمیٹی کی کنسلٹیٹیو کمیٹی میں ہم سب ایم - پیز - ہیں - جب کبھی آپ اس پرکار کا بل لائیں تو اس کمیٹی کے سامنے بھی رکھیں تو ہم لوگ اسکے بارے میں اپنے سجھاؤ دے سکتے ہیں - آپکے قانون میں کہا گیا ہے- ۱۱۴ تو نقد دے دینگے اور ۳۱۴ حصہ ۲۰ سال کے بعد دینگے - ۲۰ سال کے بعد زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے - اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے - جو بھی مارکیٹ ریٹ ہو اسکے مطابق لوگوں کو قیمت اسی وقت دی جائی چاہئے - ۲۰ سال کے بعد دینے کی بات نہیں ہونی چاہئے - آپ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرینگے - یہ امید کرتا ہوں - ان شبدوں کے ساتھ میں آپکو دھنیوے واد دیتا ہوں - کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا -

श्री वीरशेट्टी मोगलप्पा कुशनुर (कर्णाटक): माननीय, मंत्री महोदय ने हाउस में यह आश्वासन दिया है कि आने वाले सालों में वे अरबन सीलिंग एक्ट को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि नया एक्ट आने तक क्या वे आश्वासन देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को एक्जेम्पशन देने की जो पावर दी गई है कि तकरीबन सात-आठ साल में 41 हजार हेक्टयर की एक्जेम्पशन दी है, क्या आप आयन्दा यह एक्जेम्पशन न देने का प्रबन्ध करेंगे ?

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very grateful to all the honourable Members of this august House for the support given to my Resolution. I sincerely thank them not for just supporting my Resolution but for the cause which they have supported, which means the farmers' class as a whole, the poor people as a whole.

Really, the circumstances actually prevailing in and around the urban areas are not only very bad but also very horrifying. Some of the Honourable Members have really stated the truth and nothing but the truth. My intention in bringing thi, Resolution before this House was to b'ring to light the injustice being done to the farmers and the poor, and I thank God for giving me a very good success in it.

Further, I would like to request the honourable Minister, Shri Dalbir Singhji, to pay more attention to this problem because for the last four years I have been working over this, either by way of taking part in

a debate on the Land Acquisition Act or by drawing attentiion to it through Special Mentions or in whatever way it wae possible to do through Parliament., \it to my luck and due to ill luck of the farmers or the poor, nobody was able to pay any attention to the sufferings of these people. Tbis is for the first time. I am proud that our hon. Minister, Mr. Dalbir Singhji, when I first time. I casually raised this point in the Consultative Committee, all of a sudden, said, "Only this Act and the functioning of this Act will be taken into consideration and no other issues. " I would like again to thank the hon. Minister for there was not one sitting but we had three consecutive sittings on this Act in the Consultative Committee, and we could do what We wanted to do in the Consultative Committee.

There is a saying: Cod wishes (something. God's ways are mysterious. To my surprise, in the lot my Resolution came again immediately. Therefore, I am able to put before this House all these ideas.

In reply, I thank the hon. Minister for all the assurances to the House and all the goodness shown for the welfare of the poor farmers.

I would like to bring to his notice only two, three things. The present condition of the farmers and the poor is like this, in a word.

Poor farmers' lands have become a boon to them, the *dhoort* people, those who are very shrewd. Therefore, a_s he has taken note of all these very stringent facts, I am grateful to the hon. Minister.

Another thing which is very bad in the legislative drafting is, it is dealing in fictions.

अभी फिलहाल तो गरीबों की खेती और धूर्तों की खुराक बन गई है।

Everything is by fiction payment by Action, vacant land by ftction. heirship by fiction, as *it* this Act is a novel. Can you call this Parliament House a health resort? Tomorrow it will be drafted like that. Will you accept that? But you have forced we people, farmers, to accept, "No, no; no. Though thi_s is agricultural land, this is a vacant land. " 'Oh God, ' 'somebed? said, "Who has drafted this Act?"

Apart from that, I would like to bring one more thing, astly, 1 would like to say, it is only this place, this forum where we can bring to the notice of the Government, to the notice of the state the injustice that is being done to us. This is the best forum. There is no other forum to bring to the notice of the House the injustice that is being caused. Therefore, I submit that the hon. Minister should take care that the state should not act arbitrarily against the rights guaranteed to the society at large. You have guaranteed us the right, and now you say, "No. Dear farmers, wait for some time, for 20 years. " No, no. kindly don to that.

Therefore, having high-lighted these three, four points, I request our hon. Minister, Mr. Dalbir Singhji, to apply his mind and do all possible to see that he docs not bring some other more mischievous Bill. It is possible. *(Time bell rings).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Are you withdrawing?

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: I think that he would take care.

5. 00 P. M.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: j The Hon. Minister has given all the assurances that your points will be taken I into consideration. SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Therefore, I reqoert

{Shri S. N. Deshmukh]

that permission may be given to *me to* withdraw the Resolution.

*The Resolution was, by leave, withdrawn**

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now, we will take up the Special mentions. Hon. Members, there are twentyone special mentions. I request you to be brief, not more than two minutes each.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): How is it possible?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPY). But you hav; to restrict.

Non-payment of interim relief to workers of certain public sector undertakings SHRl R. S. NAIK (Karnataka). Sir, I want to draw the atention of the House regarding non-payment of interim relief to the workers as announced by the Government. The interim relief announced by the Government some months ago toi the employees of public sector undertakings has not been paid in certain selected units for reasons that are not clear. This has caused industrial unrest among a section of public sector employees of the Government of India.

Sir, as we know, every employer is responsible for the payment to persons employed by him as per the Act. Not only that, he is also responsible to extend the benefits or facilities under the Act. Now I come to the point. In the Bharat Aluminium Corporation in Korba, Madhya Pradesh, where the interim relief has not been paid to the employees, out of 3, 062 workers who conducted a ballot, 2. 856 have voted in favour of strike. Many representations have been mailed to the concerned Ministers of the Government of India but they have not responded so far. Thereby workers are deprived of their legitimate demands. I appeal to the Minister for labour and the Minister for Industries to look into the matter.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR (Karnataka): Sir, I would like to say that the State Government of the hon. Member's party has not been paying salary to its own employees. They have no! got their pay for the last two months.

SHRI R. S. NAIK: I again request the Ministers to obtain reports from all public sector undertakings regarding payment of interim relief and give directions to all undertakings to make immediate payment in the interest of maintaining industrial peace and harmony.

Sir, Mr. K. G. Maheswarappa, one of my colleagues, has also supported this by signing this special mention.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh); Sir, the Member speaking is from Karnataka; the other Member who interrupted is also from Karnataka. The Vice-Chairman in the Chair is also from Karnataka and the Member who has associated with this is also from Karnataka. You all solve the problem.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Shri Vishwa Bandhu Gupta absent.

Demand for immediate release from Pakistan Jail of Gujarat Fishermen captured on 25th October, 1987.

श्री राम सिंह भाई पातलीयाभाई राठवा (गुजरात) : मैं आपकी अनुमति से एक लोक महत्व का मामला विशेष उल्लेख के माध्यम से इस सदन में उठाना चाहता हूं।

थोड़े समय पूर्व 25 अक्तूबर को सायं 6 बजे से प्रात: 11 बजे 26 अक्तूबर के बीच पाकिस्तानी समुद्री नौकाओं ने बन्दूक की नोक पर करीब 16 मछली पकड़ने वाले समुद्री नौकाओं को जो उत्तर

*For the text of the resolution *Vide* col. 227-228 of the debate dated 13th Nowmber, 1987.